कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1969
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय पता	प्लॉट नं. I-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम-122001
6.	ईमेल	complianceofficer@recindia.com
7.	दूरभाष	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	https://recindia.nic.in/
9.	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	संदत्त पूंजी	₹2,633.22 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272) निदेशक (वित्त) +91-124-4441319 df@recindia.com
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) किए गए हैं या समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और सभी संस्थाओं के लिए, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)।	इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण समेकित आधार पर किए गए हैं
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का %
1	वित्तीय और बीमा सेवा	वित्तीय और ऋण पट्टे गतिविधियाँ	99.88%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1	अन्य वित्तीय सेवाएँ और गतिविधियाँ - अन्य ऋण प्रदान करना	64920	98.88%

III. प्रचालन

18. उन अवस्थितियों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

अवस्थिति	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	0	33*	33
अंतरराष्ट्रीय	0	0	0

**इसमें आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय, हमारी सहायक कंपनी और आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, जो देश भर में 23 स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों की विस्तृत सूची वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल के कार्यालय पूरे भारत में 10 स्थानों पर कार्यरत हैं।*

19. संस्था द्वारा सेवा बाजार:

क. अवस्थितियों की संख्या

अवस्थिति	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0

ख. संस्था के कुल टर्नओवर में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

लागू नहीं।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में मान्यता प्राप्त आरईसी लिमिटेड, देश के बिजली क्षेत्र और व्यापक बुनियादी ढाँचे के विकास पहलों को आगे बढ़ाने में एक अभिन्न भूमिका निभाती है। बढ़ती ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे की माँगों का समर्थन करने के लिए स्थापित, आरईसी ने विभिन्न हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों का एक व्यापक समूह विकसित किया है। इन पेशकशों में दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक ऋण शामिल हैं जो विशेष रूप से पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ बिजली संचरण और वितरण के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को शामिल करते हुए, परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के वित्तपोषण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

बिजली तक पहुँच बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जो वंचित समुदायों में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ई-मोबिलिटी बुनियादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण में अग्रणी है, जो स्थायी परिवहन समाधानों की ओर संक्रमण को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में गतिशील और बढ़ते बुनियादी ढाँचे के परिदृश्य को समझते हुए, आरईसी ने रणनीतिक रूप से अपने पोर्टफोलियो को बिजली क्षेत्र से परे विविधीकृत किया है। इस विस्तार में विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे हवाई अड्डे, मेट्रो रेल प्रणालियाँ, प्रमुख सड़कें और राजमार्ग, बंदरगाह और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचा विकास, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में योगदान करते हैं, के लिए वित्तपोषण शामिल है।

आरईसी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख ग्राहक वर्गों में शामिल हैं:

i) **सरकारी संस्थाएँ:** इस वर्ग में राज्य सरकारें और केंद्र/राज्य विद्युत उपयोगिताएँ दोनों शामिल हैं, जो आरईसी की वित्तीय सहायता के प्राथमिक प्राप्तकर्ता हैं। ये संस्थाएँ विभिन्न बिजली और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चलाती हैं जो सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ii) **स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी):** आरईसी ऊर्जा परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को पहचानता है। इस प्रकार, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक - विद्युत उत्पादन में लगी निजी कंपनियाँ - आरईसी के ग्राहक आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो परियोजना आरंभ और निष्पादन को सक्षम बनाने वाले अनुकूलित वित्तपोषण समाधानों से लाभान्वित होते हैं।

iii) **निजी क्षेत्र के उधारकर्ता:** इस श्रेणी में बुनियादी ढाँचा और बिजली परियोजनाओं में भाग लेने वाले निजी उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो समग्र बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विविध हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संक्षेप में, आरईसी लिमिटेड भारत के बिजली और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। ग्राहकों और परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आवश्यक वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके, यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्र को उसके स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

IV. कार्मिक

20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

क. कार्मिक एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्रं.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	573*	490	85.51	83	14.49
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	580	506	87.24	74	12.76
3.	कुल कार्मिक (घ + ङ)	1153	996	86.38	157	13.62
श्रमिक						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल श्रमिक (च + छ)					

**प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दो कार्मिकों को स्थायी कार्मिकों के अलावा अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है।*

टिप्पणी: हालाँकि हमारे हालिया नियुक्ति प्रयासों का ध्यान लैंगिक विविधता में सुधार पर केंद्रित रहा है, फिर भी महिला कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की संख्या में वृद्धि सहित कई कारकों के संयोजन के कारण समग्र महिला अनुपात में थोड़ी कमी देखी गई है। हम अपने महिला कार्यबल के अनुपात में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ख. दिव्यांग कार्मिक और श्रमिक:

क्रं.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	14	13	92.86	1	7.14
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कार्मिक (घ + ङ)	14	13	92.86	1	7.14
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी को छोड़कर (छ)					
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	6	1	16.66
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5	1	20.00

22. स्थायी कार्मिकों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर *(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण)*

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	6.06%	6.21%	6.08%	6.35%	4.23%	6.03%	10.57%	10.37%	10.54%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 33 कार्मिक कंपनी से अलग हुए, जिनमें से 27 सेवानिवृत्ति के कारण और 6 अन्य कारणों से अलग हुए।

23. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रं.सं.	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह धारक/ सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक	52.63 *(पीएफसी के पास आरईसी में 52.63% शेयर हैं)*	हाँ
2	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	सहायक	100	हाँ
आरईसीपीडीसीएल सहायक कंपनियां				
3	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
4	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
5	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
7	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
8	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
9	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
10	डब्ल्यूआरएनईएस तलेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
11	तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
12	राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
13	जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
14	वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं

V. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं): हां

(ii) टर्नओवर (₹ में) : 56,367 करोड़*

(iii)निवल संपत्ति (₹ में): 78,376 करोड़*

**आंकड़े समेकित आधार पर हैं*

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रस्तुत करें)	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	180	4	1 मई, 2025 तक, कोई भी शिकायत समाधान के लिए लंबित नहीं है	88	12	वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक लंबित 12 शिकायतों का भीबाद में निपटान कर दिया गया है
निवेशक (शेयरधारकों को छोड़कर)	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	272	0	-	494	0	-
शेयरधारक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	21	0	इन शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 1590 अनुरोध/स्पष्टीकरण/प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान/उत्तर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया, सिवाय सात अनुरोध/स्पष्टीकरण/ प्रश्नों के, जिनका समाधान 31 मार्च, 2025 के बाद किया गया।	30	0	इन शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 363 अनुरोध/स्पष्टीकरण/ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, सिवाय सात अनुरोधों/स्पष्टीकरण/ प्रश्नों के जिनका समाधान 31 मार्च, 2024 के बाद किया गया।
कार्मिक और श्रमिक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	0	0	-	1	0	-

हितधारक समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रस्तुत करें)	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	0	0	-	0	0	-
आपूर्तिकर्ताओं	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf	1	1	आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान कर दिया गया है।	3	0	विवाद से विश्वास के अंतर्गत 2 दावे, 1 जेम के स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर द्वारा।

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन:

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और सततता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पहचानने का तर्क, जोखिम को कम करने या अनुकूलित करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	जलवायु जोखिम प्रबंधन	अवसर	जलवायु परिवर्तन आरईसी को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने, दीर्घावधि में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने और हरित बॉण्ड और स्थिरता से जुड़े उपकरणों जैसे नए प्रकार की पूंजी का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। आरईसी अगली पीढ़ी के अवसंरचना जैसे हरित अमोनिया, कार्बन कैप्चर और स्मार्ट ग्रिड के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति हो सकती है। यह कार्बन-गहन जोखिमों से जोखिम को कम करने और एक स्थिर, भविष्य-सुरक्षित ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक रणनीतिक खिड़की प्रदान करता है। हरित वित्तपोषण को आगे बढ़ाकर, आरईसी कम लागत वाली ईएसजी पूंजी तक पहुँच सकता है, नियामक आवश्यकताओं से आगे निकल सकता है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है - एक वैश्विक जोखिम को प्रतिस्पर्धी ताकत में परिवर्तित कर सकता है।	-	सकारात्मक: हरित वित्त को अपनाकर, आरईसी अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है, कार्बन जोखिम को कम कर सकता है और कम लागत वाली ईएसजी पूंजी तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। इससे आरईसी भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करने, नियामकीय माँगों को पूरा करने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, जिससे जलवायु जोखिम एक रणनीतिक लाभ में बदल जाएगा।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
2	ऊर्जा एवं उत्सर्जन प्रबंधन	अवसर	भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य, हरित और ऊर्जा-कुशल वित्तपोषण के लिए एक विशाल, विस्तारित बाज़ार का निर्माण करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के एक अग्रणी वित्तपोषक के रूप में, आरईसी इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आदर्श स्थिति में है।	-	सकारात्मक: उच्च-मांग वाले हरित क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण पुस्तिका वृद्धि को सक्षम करके और सस्ते, विशिष्ट हरित पूंजी बाजारों तक पहुँच के माध्यम से अपने वित्तपोषण में विविधता लाकर आरईसी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है। यह लचीली परियोजनाओं को वित्तपोषित करके परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार करता है, जिससे एनपीए में कमी आती है और दीर्घकालिक लाभप्रदता में वृद्धि होती है।
3	सामुदायिक विकास	अवसर	सामुदायिक सहभागिता और विकास कंपनी के प्रचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सततता को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर, आरईसी सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है, सामुदायिक चिंताओं को संबोधित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, परियोजना स्वीकृति में वृद्धि करता है और सामाजिक जोखिमों को कम करता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास पहलों में निवेश सामाजिक सततता, प्रतिभा प्रतिधारण और समग्र व्यावसायिक सफलता में योगदान दे सकता है।	-	सकारात्मक: जोखिमों का प्रबंधन और परियोजना का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करना। स्थानीय विकास में निवेश से संचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस में वृद्धि, प्रतिभा प्रतिधारण में सहायता और ब्रांड प्रतिष्ठा में मजबूती, दीर्घकालिक मूल्य और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।
4	ग्राहक संतुष्टि	अवसर	ग्राहक संतुष्टि आरईसी की प्रतिष्ठा, बाज़ार स्थिति और लाभ का एक मूलभूत चालक है। प्रतिस्पर्धी और बदलते बुनियादी ढाँचे के वित्तीय परिवेश में, संस्थागत ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता आवश्यक है। ग्राहक संबंध निर्माण केवल सेवा वितरण का मामला नहीं है, बल्कि इसका सौदे की निरंतरता, पोर्टफोलियो स्थिरता और दीर्घकालिक ग्राहक विश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने संचालन में ग्राहक-केंद्रित प्रथाओं को शामिल करके, आरईसी वफादारी को बढ़ावा देता है, परियोजना चक्रों में घर्षण को कम करता है और बिजली और बुनियादी ढाँचे के बाज़ारों में एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।	-	सकारात्मक: ग्राहक संतुष्टि प्रतिक्रियाशीलता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता के माध्यम से, आरईसी ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ाता है, अपनी बाज़ार प्रतिष्ठा को मज़बूत करता है और पोर्टफोलियो स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक विश्वास को बढ़ावा देता है, परियोजना की रुकावट को कम करता है और निरंतर विकास को बढ़ावा देता है, आरईसी को बुनियादी ढाँचा वित्त क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
5	विविधता और समावेशन	अवसर	विविधता और समावेशन न केवल कॉर्पोरेट मूल्य हैं, बल्कि रणनीतिक परिसंपत्तियाँ भी हैं जिनका संगठनात्मक प्रदर्शन और लचीलेपन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आरईसी के लिए, एक विविध कार्मिक आधार का निर्माण विचारों, कौशल और अनुभवों की एक व्यापक श्रृंखला तक पहुँच सुनिश्चित करता है और इससे अधिक नवाचार और निर्णय लेने में मदद मिलती है। समावेशन प्रतिनिधित्व से आगे तक फैला हुआ है; यह सभी स्तरों पर कार्मिकों को सशक्त, सम्मानित और संलग्न महसूस कराता है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर सहयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कम अपघटन होता है। चूँकि आरईसी एक तेज़ी से बदलते व्यावसायिक माहौल में काम कर रहा है, संस्कृति में विविधता और समावेशन को एकीकृत करना सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने, अनुकूली सोच को उत्प्रेरित करने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने की कुंजी है।	-	सकारात्मक: आरईसी संस्कृति में विविधता और समावेशन को एकीकृत करने से एक व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुँच साकार करती है, जो नवाचार को बढ़ावा देती है और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यह कार्मिकों की उच्चतर भागीदारी को बढ़ावा देता है, कार्मिकों की संख्या में कमी को कम करता है और ब्रांड प्रतिष्ठा को मजबूत करता है, जिससे आरईसी एक अधिक आकर्षक और विश्वसनीय नियोक्ता बन जाता है। विविधता को प्राथमिकता देकर, आरईसी सहयोग में सुधार करता है और तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश में अनुकूलनशीलता और लचीलापन सुनिश्चित करता है, जिससे अंततः एक निरंतर प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है।
6	मानव पूंजी विकास	अवसर	मानव पूँजी आरईसी के दीर्घकालिक प्रदर्शन और संस्थागत लचीलेपन का एक प्रमुख चालक है। किसी फर्म की प्रतिभा को आकर्षित करने, बनाए रखने और निर्माण करने की क्षमता सीधे तौर पर परिचालन प्रभावशीलता, नवाचार और सेवा वितरण को प्रभावित करती है। एक उच्च प्रदर्शन करने वाला समर्पित कार्यबल अच्छी संस्कृति का एक संयोग नहीं है, बल्कि यह कार्मिकों के कल्याण, क्षमता विकास और समावेशी नेतृत्व में रणनीतिक निवेश का एक अपेक्षित परिणाम है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सहायता पहल अनुपस्थिति और कार्मिकों के स्थानांतरण को कम करती हैं और लक्षित प्रशिक्षण कार्मिकों को बदलती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करने में सक्षम बनाता है। कार्यबल विकास को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आरईसी की मानव पूँजी सतत विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख चालक बनी रहे।	-	सकारात्मक: आरईसी का मानव पूंजी में निवेश एक रणनीतिक कदम है जिससे तेज़ी से विकसित हो रहे उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलती है। कौशल उन्नयन भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित करता है, जबकि कल्याणकारी पहल और समावेशी नेतृत्व उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं और कार्मिकों की संख्या में कमी लाते हैं। ये सिर्फ़ सकारात्मक परिणाम ही नहीं हैं, ये दीर्घकालिक प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
7	सतत आपूर्ति शृंखला प्रबंधन	अवसर	सतत खरीद, आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण है जो पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के प्रबंधन में सहायक है, जो इसकी मूल्य शृंखला में अंतर्निहित हैं। खरीद निर्णयों में ईएसजी कारकों को शामिल करके, आरईसी विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच जिम्मेदार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि अनुपालन, प्रतिष्ठा और संचालन जोखिमों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई और वंचित व्यावसायिक क्षेत्रों के पक्ष में अधिमान्य खरीद रणनीतियों को अपनाकर, आरईसी न केवल आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यवहार्य स्थानीय आपूर्ति शृंखलाएँ भी स्थापित करता है। ऐसी रणनीति हितधारकों के विश्वास को मजबूत करती है, नियामक अनुपालन को सुगम बनाती है और दीर्घकालिक साझा मूल्य उत्पन्न करती है, जिससे आरईसी एक जिम्मेदार और दूरदर्शी संस्था बन जाती है।		सकारात्मक: आरईसी की सतत प्रक्रिया रणनीति पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को कम करती है, नियामक संरेखण सुनिश्चित करती है और प्रतिष्ठा और परिचालन संबंधी कमज़ोरियों को कम करती है। ईएसजी मानदंडों को एकीकृत करके और एमएसएमई और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से अधिमान्य सोर्सिंग का लाभ उठाकर, आरईसी आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन को बढ़ाता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य उत्पन्न करता है।
8	डिजिटल परिवर्तन और नवाचार	अवसर	डिजिटलीकरण आरईसी के लिए दक्षता को बढ़ावा देने, सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने और उभरते हुए बुनियादी ढाँचे के वित्त परिदृश्य में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने का एक प्रमुख चालक है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से अधिक सुव्यवस्थित संचालन, त्वरित निर्णय लेने और अधिक व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव संभव होता है। नवाचार उधारकर्ताओं की ज़रूरतों, विनियमन और बाज़ार में व्यवधान में बदलाव के प्रति आरईसी की लचीलापन को बढ़ाता है। यह नई वित्तपोषण योजनाएँ बनाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने की संभावना भी खोलता है। डिजिटल क्षमताओं में निवेश के माध्यम से, आरईसी न केवल परिचालन लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि स्थायी वित्त के क्षेत्र में एक दूरदर्शी, आधुनिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत करता है।		सकारात्मक: आरईसी के लिए, डिजिटलीकरण कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएगा और लाभप्रदता को बढ़ावा देगा। स्वचालन और विश्लेषण के साथ, आईटी प्रणालियाँ ऋण उत्पत्ति, अंडरराइटिंग, संग्रह और ग्राहक ऑनबोर्डिंग में सुधार करेंगी, जिससे दक्षता बढ़ेगी और लागत कम होगी। इससे आरईसी की प्रतिस्पर्धी स्थिति मज़बूत होगी और अधिक सुचारू, अधिक प्रतिक्रियाशील सेवाएँ सुनश्चित होंगी।
9	आर्थिक विकास	अवसर	आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे की माँग को बढ़ाकर, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में, आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे भारत विकसित हो रहा है, ऊर्जा की बढ़ती खपत और औद्योगीकरण के कारण अधिक उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं की आवश्यकता बढ़ रही है, जिससे आरईसी के वित्तपोषण के अवसर सीधे तौर पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, सतत और समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण की माँग को बढ़ाता है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति के एक प्रमुख वित्तीय प्रवर्तक के रूप में आरईसी की भूमिका और मजबूत होती है।		सकारात्मक: यहअवसर सीधे तौर पर ऋण पुस्तिका में वृद्धि और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की ओर ले जाता है क्योंकि बढ़ती अर्थव्यवस्था में आरईसी की मुख्य वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ रही है।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
10	सतत वित्त	अवसर	हरित ऋण और बॉण्ड जैसे सतत वित्त उपकरणों को प्रोत्साहित करना, आरईसी को पूंजी को जलवायु और विकास प्राथमिकताओं से जोड़ने का एक मज़बूत माध्यम प्रदान करता है। अपने ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के माध्यम से, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण को निर्देशित करता है, जिससे राष्ट्रीय जलवायु उद्देश्यों के साथ-साथ सतत बुनियादी ढाँचे के विकास को भी संभव बनाया जा सकता है। ये उपकरण न केवल आरईसी के पूंजी आधार का विस्तार करते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वैश्विक ईएसजी पूंजी तक पहुँच में भी सुधार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिरता से जुड़े वित्तीय उत्पादों का एक बड़ा पोर्टफोलियो होने से आरईसी को अनुपालन से आगे बढ़कर हरित बदलाव के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्य के साथ-साथ मज़बूत वित्तीय रिटर्न भी प्राप्त होता है।	-	सकारात्मक: जलवायु और विकास लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल, वैश्विक ईएसजी पूंजी तक व्यापक पहुँच और सतत बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका। हरित वित्त साधनों का लाभ उठाकर, आरईसी अपनी वित्तीय ताकत बढ़ाता है, राष्ट्रीय जलवायु पहलों का समर्थन करता है और सामाजिक प्रभाव और ठोस वित्तीय लाभ दोनों प्रदान करता है।
11	जिम्मेदार उधार	अवसर	ईएसजी विचारों को ऋण देने में शामिल करने से आरईसी को जोखिम प्रबंधन और हितधारक संरेखण में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। निवेशक, नियामक, समुदाय और साझेदार ऋणदाताओं से दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को ध्यान में रखने की अपेक्षा करते हैं। ईएसजी द्वारा सूचित ऋण निर्णय आरईसी को नियामक परिवर्तन, पर्यावरणीय व्यय या स्थानीय प्रतिरोध जैसे जोखिमों की पहले ही पहचान करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे देरी, हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम कम होता है। यह रणनीति न केवल पोर्टफोलियो की मजबूती को बढ़ाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप और प्रभाव-संचालित पूंजी को आकर्षित करते हुए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में आरईसी की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है।	-	सकारात्मक: बेहतर जोखिम प्रबंधन, बेहतर पोर्टफोलियो लचीलापन और एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार ऋणदाता के रूप में मज़बूत प्रतिष्ठा। ऋण देने में ईएसजी विचारों को शामिल करके, आरईसी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है, वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाता है और संभावित परियोजना विलंब, हानि और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करते हुए प्रभाव-संचालित पूँजी आकर्षित करता है।
12	ईएसजी शासन और बोर्ड निगरानी।	अवसर	निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के सतत कार्यान्वयन से, आरईसी नियामक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने, निवेशकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और दीर्घकालिक जोखिमों को बेहतर ढंग से संसाधित करने की अपनी क्षमता का अनुकूलन करता है।	-	सकारात्मक: बेहतर रणनीतिक दूरदर्शिता और मज़बूत दीर्घकालिक जोखिम प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता। आरईसी निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है और स्थायी और ज़िम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
13	ईएसएमएस (पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली फोकस	अवसर	ईएसएमएस कंपनी को अपनी ऋण प्रक्रिया में स्थिरता को मुख्यधारा में लाने की अनुमति देता है ताकि आरईसी के साथ वित्तपोषित परियोजनाएँ राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं और पर्यावरण एवं सामाजिक शासन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरा कर सकें। ईएसएमएस, समावेशी और सतत बुनियादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण और संवर्धन के प्रति आरईसी की ज़िम्मेदारी का संकेत है।		सकारात्मक: यह आरईसी को अपनी मुख्य ऋण प्रथाओं में स्थिरता को शामिल करने में सक्षम बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तपोषित परियोजनाएँ राष्ट्रीय नियमों और वैश्विक ईएसजी मानकों दोनों का अनुपालन करें। यह आरईसी की ज़िम्मेदारीपूर्ण वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है, परियोजना की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और समावेशी, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन करता है।
14	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जलवायु परिवर्तन भौतिक जोखिम (बाढ़, सूखा, चक्रवात), संक्रमण जोखिम (कार्बन कर, स्वच्छ ऊर्जा मानक) और ईएसजी अपेक्षाओं से जुड़े प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है। इनसे परियोजनाओं में रुकावट आ सकती है, ऋण जोखिम बढ़ सकता है और आरईसी की पूँजी तक पहुँचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आरईसी इसका समाधान परियोजना मूल्यांकन में जलवायु जोखिम को शामिल करके, नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप और हरित वित्तपोषण को बढ़ाकर कर रहा है।	आरईसी अपनी ईएसजी यात्रा और निजी उधारकर्ताओं की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत ई एंड एस मूल्यांकन को आगे बढ़ा रहा है। हम जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर आरबीआई के प्रारूप ढांचे के साथ प्रकटीकरण को संरेखित करने की प्रक्रिया में हैं। आरईसी का लक्ष्य भारत के ऊर्जा परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने नवीकरणीय ऋण पुस्तिका में 49% और नवीकरणीय संवितरण में 63% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है, जो हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।	नकारात्मक: जलवायु जोखिम के कारण परिसंपत्ति के फंसने की संभावना।
15	परिचालन पर्यावरण दक्षता	जोखिम	भारत के बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तपोषक के रूप में, आरईसी की वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा उसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रदर्शन से जुड़ी है। वित्तपोषित परिसंपत्तियों में खराब पर्यावरणीय दक्षता से प्रतिष्ठा को नुकसान, बढ़ी हुई नियामक जाँच, संभावित अवरुद्ध परिसंपत्तियाँ और हरित वित्त तक सीमित पहुँच हो सकती है।	इस समस्या को कम करने के लिए, आरईसी ने अपने निवेश और संचालन को निर्देशित करने के लिए एक व्यापक ईएसजी नीति अपनाई है। यह नीति परियोजना मूल्यांकन में ईएसजी की उचित तत्परता को बढ़ाती है, नवीकरणीय और ऊर्जा-कुशल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता देती है और हरित वित्तीय उत्पाद विकसित करती है। यह आंतरिक क्षमता का निर्माण भी करती है और उधारकर्ताओं में पर्यावरण-कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे सतत विकास और राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
16	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	जोखिम	संवेदनशील वित्तीय और परियोजना-संबंधी जानकारी रखने वाले एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, आरईसी के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के उल्लंघन की स्थिति में भारी जोखिम है। कोई भी साइबर हमला या डेटा उल्लंघन संचालन को बाधित कर सकता है, नियामक दंड का कारण बन सकता है और हितधारकों के विश्वास को कम कर सकता है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक डिजिटलीकरण हो रहा है, खतरे का स्तर भी बढ़ रहा है, इसलिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी उपेक्षा करने से न केवल व्यवसाय की निरंतरता को खतरा होता है, बल्कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में आरईसी की विश्वसनीयता और जवाबदेही भी कम हो जाती है।	भारत सरकार की एक प्रमुख कंपनी होने के नाते, आरईसी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और परिचालन लचीलापन बनाए रखने के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को अत्यंत तत्परता से प्राथमिकता देती है। कंपनी ने अपनी सूचना संपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) लागू की है, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। अपने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के नेतृत्व में, आरईसी निरंतर प्रशिक्षणों, सूचनात्मक सत्रों, आंतरिक संदेशों, सोशल मीडिया अभियानों और यहाँ तक कि डेस्कटॉप वॉलपेपर के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। यह प्रतिबद्धता एक व्यापक डेटा गोपनीयता नीति द्वारा और भी पुष्ट होती है जो सभी हितधारकों के व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा की सख्ती से सुरक्षा करती है, नियमित सुरक्षा ऑडिट और उन्नत तकनीकों को अपनाने से पूरित होती है ताकि विकसित हो रहे साइबर खतरों को कम किया जा सके, जिससे विश्वास मजबूत होता है और इसके महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन अवसंरचना की सुरक्षा होती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
17	कॉर्पोरेट सुशासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	आरईसी के लिए, खराब कॉर्पोरेट सुशासन और नैतिक कदाचार न केवल प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हैं - बल्कि ये प्रणालीगत जोखिम भी हैं जो रणनीतिक निर्णय लेने, निवेशकों के विश्वास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान नियामकीय माहौल में, भ्रष्टाचार या गैर-अनुपालन का कोई भी मामला कानूनी प्रतिबंधों का कारण बन सकता है और हितधारकों के विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा, सभी स्तरों पर मज़बूत प्रशासन के बिना, कॉर्पोरेट व्यवहार और हितधारक अपेक्षाओं के बीच असंरेखण का खतरा बना रहता है। इस प्रकार, जवाबदेही और ईमानदारी की संस्कृति कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आरईसी के सतत विकास के लिए एक आवश्यकता है।	आरईसी का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा इसके संचालन की आधारशिला है, जो भारत सरकार की कंपनी होने के अपने दर्जे को दर्शाता है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ-साथ, कड़ाई से पालन करती है। इसके अलावा, आरईसी का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जो सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों को सुनिश्चित करता है। पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिक प्रथाओं के प्रति यह प्रतिबद्धता, जिसकी देखरेख सरकार द्वारा नामित निदेशकों वाले बोर्ड द्वारा की जाती है, सभी हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करती है और एक सार्वजनिक संस्था के रूप में कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।
18	विनियामक अनुपालन	जोखिम	आरईसी, एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम होने के नाते, सख्त कानूनी और विनियामकीय अनुपालन के अधीन है। संबंधित कानूनों, वित्तीय नियमों या उद्योग नियमों का पालन न करने पर कंपनी को दंड, मुकदमे और व्यावसायिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय प्रभावों के अलावा, विनियामकीय उल्लंघन आरईसी की एक विश्वसनीय और अनुपालन करने वाले संगठन के रूप में प्रतिष्ठा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक मजबूत विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र में, सख्त अनुपालन न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अनिवार्य है - हितधारकों का विश्वास बनाए रखने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आरईसी के भविष्य के विकास और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण।	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, आरईसी का नियामक जोखिम के प्रति दृष्टिकोण अंतर्निहित रूप से इसके सार्वजनिक अधिदेश से जुड़ा हुआ है। यह एक अत्यधिक सतर्क अनुपालन प्रभाग रखता है जो विद्युत मंत्रालय, आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं के सभी सरकारी निर्देशों, नीतियों और वैधानिक परिवर्तनों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। यह न केवल मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि नए मानदंडों के साथ त्वरित अनुकूलन भी सुनिश्चित करता है, जिससे राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के विकास और वित्तीय स्थिरता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की रक्षा होती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्र.सं.	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
19	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	जोखिम प्रबंधन में उन जोखिमों की पहचान, आकलन और उनका शमन शामिल है जो केवल विशिष्ट परियोजनाओं या निवेशों के बजाय पूरे संगठन या उद्योग को प्रभावित करते हैं। जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करके, आरईसी वित्तीय स्थिरता, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा कर सकता है।	मज़बूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने से अनिश्चितताओं का सामना करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और हितधारकों का विश्वास बना रहता है। यह वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को सहने और उद्योग में कंपनियों की जटिलता और परस्पर संबद्धता से संबंधित सख्त विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की आरईसी की क्षमता को भी दर्शाता है।	नकारात्मक प्रभाव

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	कृपया रिपोर्ट का अनुलग्नक देखें								
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों के नाम।	आईएसओ 27001: 2013								
5.	संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो, परिभाषित समयसीमा के साथ।	एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरईसी के प्रचालन और वित्तीय लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के एमओयू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए गए थे। समझौता ज्ञापन की रूपरेखा में 12 मापदंड हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 अंक आवंटित किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में कई अनुपालनों को भी स्पष्ट किया गया है, जिनके गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। समझौता ज्ञापन ढांचे को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश डीपीई वेबसाइट: https://dpe.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन दस्तावेज़ निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://recindia.nic.in/mou								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संस्था का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने की स्थिति में कारण।	आरईसी ने अपनी धारक कंपनी पीएफसी के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशा-निर्देशों में निर्धारित रूपरेखा के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एमओयू में कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित किया गया है, जिन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपने उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन के कारण, आरईसी को डीपीई द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी को फिर से उत्कृष्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है, जो एमओपी/डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन है।								

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

आरईसी में, स्थिरता एक बाद की सोच नहीं, बल्कि हमारे सभी कार्यों में अंतर्निहित एक रणनीतिक प्राथमिकता है। जैसे-जैसे भारत तेज़ी से आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकास पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन और मज़बूत शासन के साथ-साथ हो। आरईसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को हमारे मुख्य निर्णय लेने में व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने के लिए मार्गदर्शन करती है, जिससे हम देश के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हुए हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित कर पाते हैं।

चुनौतियाँ और रणनीतिक लक्ष्य

ईएसजी को बड़े पैमाने पर लागू करने से बुनियादी ढाँचे में कमियाँ, तकनीक अपनाना, हितधारकों का समन्वय और निरंतर अनुपालन एवं निगरानी की आवश्यकता जैसी प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती हैं। इन बाधाओं के बावजूद, आरईसी ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है हमारे ऋण पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना। हमारी प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से हमारे संचालन को हरित बनाने तक फैली हुई है। इसके अलावा, हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल ग्रामीण और वंचित समुदायों में हमारे सकारात्मक प्रभाव का विस्तार कर रही है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

आरईसी ने अपनी ईएसजी प्रतिबद्धताओं को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है, 1 मेगावाट पीक कैप्टिव सौर संयंत्र के साथ नेट ज़ीरो की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और इसके 76% वाहन बेड़े अब इलेक्ट्रिक हैं। आरईसी ने डीएचबीवीएन के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय को 100% हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सहमति व्यक्त की है, जिससे अनुमान है कि भारत के पंचामृत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में स्कोप 1 और 2 के लगभग 85% उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। भारत के पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के तहत, नवीकरणीय ऋण वितरण में साल-दर-साल 63% की प्रभावशाली वृद्धि हुई और ऋण पुस्तिका में 49% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 6.1 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन से बचा जा सका। सामाजिक रूप से, आरईसी ने एक नई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति पेश की और शून्य डेटा उल्लंघन और शून्य ग्राहक शिकायतें हासिल कीं। ऋण मूल्यांकन और खरीद में ईएसजी को एकीकृत करके शासन को मजबूत किया गया।

शासन और आगे की राह

शासन हमारे स्थायित्व एजेंडे का आधार बना हुआ है। हम पारदर्शिता, नैतिक खरीद और ईएसजी से जुड़ी मूल्य श्रृंखला सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जिससे हमारी मूल्य श्रृंखला में अखंडता मज़बूत होती है। एक मज़बूत शासन संरचना और स्पष्ट ईएसजी रोडमैप के साथ, आरईसी न केवल भारत के ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के वित्तपोषक के रूप में, बल्कि देश के हरित और समावेशी परिवर्तन के एक सक्रिय प्रवर्तक के रूप में भी स्थापित है। आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य नवाचार को अपनाकर, हितधारकों की सहभागिता को गहरा करके और अपनी ईएसजी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाकर अपने प्रभाव को बढ़ाना है।

(आरईसी में ईएसजी पर व्यापक अवलोकन के लिए सीएमडी संदेश अनुभाग भी देखें)

8.	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मंडल
9.	क्या संस्था में सततता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें।	हाँ। श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272) निदेशक (वित्त) +91-124-4441319 df@recindia.com

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर								

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	निदेशक मंडल सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है और वरिष्ठ प्रबंधन समय-समय पर इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।								

टिप्पणी: प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित हैं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत नीतियों के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था, सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)									
संस्था, उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)					लागू नहीं				
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

खंड ग: सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन संबंधी प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटीकरण, ऐसी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं।

सिद्धांत 1 - व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और अभिशासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	9	1. स्कोप कार्यालय, नई दिल्ली में उद्योग विशेषज्ञ द्वारा उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी)। 2. ऊटी, तमिलनाडु में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा आयोजित "निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास"। 3. आईआईएम बैंगलोर में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा आयोजित "प्रभावी जोखिम प्रशासन और बोर्ड कार्यक्रम"। 4. रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा परिषद में विभिन्न सत्र।	100
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	1. स्कोप कार्यालय, नई दिल्ली में उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी)। 2. ऊटी, तमिलनाडु में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा आयोजित "निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास"। 3. कोलकाता में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) द्वारा जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने में जलवायु सह-लाभ पद्धतियों की भूमिका। 4. रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा परिषद में विभिन्न सत्र। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त, कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।	100

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा कार्मिक	105	आरईसी निरंतर सीखने और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्मिक कौशल को बढ़ाने, एक जिम्मेदार व्यावसायिक संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रमुख ईएसजी विचारों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रशिक्षण की व्यापक श्रेणियाँ, जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) सिद्धांतों की भावना के अनुरूप, नीचे दी गई हैं: I. **नैतिक आचरण, शासन और जोखिम प्रबंधन (पी1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही; पी2: सतत और सुरक्षित उत्पाद; पी4: हितधारक जवाबदेही; पी7: जिम्मेदार नीति जुड़ाव)** **कॉर्पोरेट सुशासन और अनुपालन:** एनजीआरबीसी, निदेशकों के प्रमाणन, आरईसी आचरण नियम (भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी सहित) और रोजगार और सार्वजनिक खरीद से संबंधित कानूनी अनुपालन पर प्रशिक्षण। **नैतिकता और अखंडता:** नैतिक आचरण, सतर्कता जागरूकता और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए समर्पित सत्र। **जोखिम प्रबंधन:** उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (आईएसओ 31000 सहित), बाज़ार और परिचालन जोखिम, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर व्यापक प्रशिक्षण। **सतत व्यावसायिक व्यवहार:** खरीद, उत्पाद जीवनचक्र और समग्र व्यावसायिक संचालन में स्थिरता को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण। II. **कार्मिक कल्याण, मानवाधिकार और समावेशिता (पी3: कार्मिक कल्याण; पी5: मानवाधिकार; पी8:** समावेशी विकास और समतामूलक विकास) **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा:** व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नियमित जागरूकता सत्र। **मानव अधिकार और विविधता:** मानवाधिकारों, यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) और विभिन्न समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी, पूर्व सैनिक, पीडबल्यूबीडी, ईडबल्यूएस) के लिए आरक्षण और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर प्रशिक्षण। **कार्मिक विकास एवं कल्याण:** कल्याण, तनाव प्रबंधन, कार्य-जीवन संतुलन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व विकास पर केंद्रित कार्यक्रम। **विविधता एवं समावेशिता:** विभिन्न कार्मिक समूहों के लिए समावेशिता पर विशेष रूप से केंद्रित कार्यशालाएँ। III. **पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई (पी6: पर्यावरणीय उत्तरदायित्व)** **जलवायु परिवर्तन और स्थिरता:** जलवायु सह-लाभ पद्धतियों, कार्बन प्रबंधन, ग्रीनहाउस गैस लेखांकन, कार्बन फुटप्रिंटिंग और हरित जलवायु वित्त सुविधाओं पर प्रशिक्षण। **ऊर्जा संक्रमण और स्मार्ट प्रणालियाँ:** स्मार्ट वितरण प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन पर सत्र। **पर्यावरण उपचार:** पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत प्रथाओं पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यक्रम। IV. **व्यावसायिक संचालन, वित्त और डिजिटल परिवर्तन (सामान्य व्यावसायिक कुशलता और दक्षता)** **वित्तीय कुशल:** बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, कॉर्पोरेटों को ऋण देने और गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर प्रशिक्षण। **उन्नत विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** उन्नत एक्सेल, डेटा विश्लेषण और कार्यस्थल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अनुप्रयोग पर सत्र। **परिचालन उत्कृष्टता:** रणनीतिक सोर्सिंग, अनुबंध प्रबंधन, ई-खरीद और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को कवर करने वाले कार्यक्रम। **संचार और नेतृत्व:** व्यावसायिक प्रस्तुतियों, सार्वजनिक भाषण और प्रशासनिक नेतृत्व में प्रशिक्षण। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने दिसंबर 2024 के दूसरे सप्ताह में ईएसजी जागरूकता सप्ताह मनाया। इस प्रभावशाली कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र, वरिष्ठ नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी, इंटरैक्टिव प्रतियोगिताएँ, आकर्षक नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़ नाटक), प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिताएँ और एक गतिशील सोशल मीडिया अभियान शामिल थे। इस पहल ने हमारे कार्मिकों और हितधारकों के बीच जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और स्थायी प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया।	99
श्रमिक	लागू नहीं		

2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में संदत्त जुर्माने/अर्थदंड/दंड/एवार्ड/शमन शुल्क/निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण (टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर उल्लिखित महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (₹ में)	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
अर्थदंड/जुर्माना*	कोई नहीं	कोई नहीं*	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
समझौता	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
शमन शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
कारावास	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
दंड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

**टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, एनएसई और बीएसई ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता के कारण लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित बोर्ड और विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना के संबंध में प्रावधानों का पालन न करने पर ₹29,02,800/- का जुर्माना लगाया है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी यानी एमओपी से अनुरोध कर रही है और कंपनी की निदेशकों की नियुक्ति या अपने बोर्ड की संरचना को बनाए रखने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह कंपनी के नियंत्रण से परे है।*

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है:

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थान का नाम
कोई नहीं	कोई नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और नीति का वेब-लिंक, यदि उपलब्ध हो, प्रस्तुत करें:

हाँ, आरईसी के पास रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए नीतियाँ और दिशानिर्देश हैं। आरईसी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम सभी कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करते हैं, जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के कृत्यों को सिद्ध होने पर आपराधिक अपराध मानते हैं। कंपनी की एक धोखाधड़ी निवारण नीति भी है, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के सभी कृत्यों की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसके अलावा, आरईसी भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी सीवीसी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिसमें पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) शामिल है, जो भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित है, जिसमें सीवीसी एक नामित एजेंसी है)। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है। आरईसी के नीति दस्तावेज़ इस लिंक पर देखे जा सकते हैं: https://recindia.nic.in/policies। इन नीति दस्तावेज़ों के लिंक निम्नलिखित हैं:

https://recindia.nic.in/uploads/files/co-fin-coord-rec-fraud-prevention-policy-dt011223.pdf.

https://recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf.

https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf.

5. ऐसे निदेशकगण/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	0
कार्मिक	0	0
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	संख्या	अभ्युक्ति	संख्या	अभ्युक्ति
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में संदेय लेखाओं के दिनों की संख्या [(संदेय लेखा *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत]:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
संदेय लेखाओं के दिनों की संख्या	24*	11#

** पिछले वर्ष की तुलना में देय खातों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः आरडीएसएस जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में हमारी भूमिका से संबंधित दो कारकों के कारण है। पहला, विशेष रूप से स्मार्ट मीटरिंग के लिए, खरीद मात्रा (हर) में लगभग 40% की उल्लेखनीय कमी आई। दूसरा, इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से भुगतान की प्रतीक्षा में देय खातों (अंश) में वृद्धि हुई। ये समय अंतर सरकारी योजनाओं में निहित हैं और किसी भी अक्षमता को नहीं दर्शाते हैं। हम कठोर वित्तीय प्रबंधन बनाए रखते हैं, धन प्राप्ति पर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करते हैं, जो हमारे मजबूत शासन और ईएसजी उद्देश्यों के अनुरूप है।*

 # आंकड़े पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत हैं।

9. व्यापार का खुलापन:

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षकारों के साथ खरीद और बिक्री की सघनता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षकारों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	मेट्रिक्स		वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
खरीद की सघनता	क.	कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
	ख.	ऐसे व्यापारिक घरानों की संख्या, जहां से खरीदारी की जाती है	0	0
	ग.	व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
बिक्री की सघनता	क.	कुल बिक्री के % के रूप में डीलर/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख.	ऐसे डीलरों / वितरकों की संख्या, जिन्हें बिक्री की गई	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग.	डीलर/वितरक को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलर/ वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	क.	खरीद (संबंधी पक्षकारों से खरीद / कुल खरीद)	0	0
	ख.	बिक्री (संबंधित पक्षकारों को बिक्री / कुल बिक्री)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग.	ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षकारों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	0*	0*
	घ.	निवेश (संबंधित पक्षकारों को निवेश/कुल निवेश)	0	0

** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संबंधित पक्ष के साथ कुल ऋण और अग्रिम ₹13 लाख और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹30 लाख है: ये राशियाँ कंपनी की मानक नीति के तहत निदेशकों/केएमपी को प्रदान किए गए कार्मिक अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। ये लेनदेन व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं हैं।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
1	आरईसी ने सार्वजनिक खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की क्षमता और भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सक्रिय रूप से केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के एक प्रमुख घटक में समर्पित ईएसजी सत्र शामिल थे। इन सत्रों का उद्देश्य विक्रेताओं को बीआरएसआर सिद्धांतों, आरईसी की स्थिरता खरीद नीति और अपने विक्रेता भागीदारों से आरईसी की विशिष्ट ईएसजी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना था।	100
2	आरईसीआईपीएमटी के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे कार्मिकों और हितधारकों के साथ-साथ अन्य निजी प्रतिभागियों के लिए कुल 18,935 मानव-दिवसों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसमें आरईसी के सभी ग्राहक शामिल हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अधिकांश राज्य/ संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं ने विद्युत सुरक्षा, विद्युत उपयोगिताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, परिवर्तन प्रबंधन, नेतृत्व और टीम निर्माण पर आरईसी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।	87*

** राज्य/संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं की ऋण पुस्तिका अनुपात के आधार पर 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अनुमानित, क्योंकि इन उधारकर्ताओं ने केवल आरईसी-प्रायोजित प्रशिक्षणों का ही लाभ उठाया।*

2. क्या संस्था में बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आरईसी व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता, हितों के टकराव के प्रबंधन की प्रक्रिया को संबोधित करती है। आचार संहिता के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- ऐसे मामलों में निर्णय लेने में भाग नहीं लेना चाहिए जहाँ हितों का टकराव मौजूद हो या उत्पन्न हो सकता हो।
- बोर्ड के समक्ष ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन का खुलासा न करें जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो और जो कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप से टकराव कर सकता हो।
- बोर्ड के समक्ष ऐसे मामलों पर चर्चा, मतदान या अन्यथा निर्णयों को प्रभावित करने से बचें जिनमें हितों का टकराव या संभावित टकराव शामिल हो।
- बिना पूर्व अनुमोदन के ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचें—जैसे परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, व्यवसाय चलाना, या रोज़गार स्वीकार करना—जो कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों या ज़िम्मेदारियों में हस्तक्षेप कर सकती हो। उन्हें किसी भी प्रकार के निवेश या किसी भी प्रकार के सहयोग से भी बचना चाहिए।

कोड https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf पर उपलब्ध है

सिद्धांत 2 - व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स निवेश में क्रमशः उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	राशि	प्रतिशत	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0	0	लागू नहीं
कैपेक्स	0	0	लागू नहीं

2. क. क्या संस्था में सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

आरईसी एक मजबूत और व्यापक सतत खरीद नीति के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे मूल मूल्यों के साथ सहजता से संरेखित हो। यह नीति न केवल आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय मानकों को बनाए रखने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है, बल्कि हमारी खरीद प्रक्रियाओं से जुड़े संभावित जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने के महत्व पर भी ज़ोर देती है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जागरूकता बढ़ाने के हमारे प्रयासों में, हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, उन्हें सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सहयोग की शक्ति में विश्वास करते हैं और अपने आपूर्तिकर्ताओं को कौशल संवर्धन और सतत तरीकों को अपनाने पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन देने का लक्ष्य रखते हैं। स्थायित्व के प्रति एक सतत प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं से हमारी सतत खरीद नीतियों का पालन करने की अपेक्षा करते हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ता आचार संहिता का भी पालन करने की अपेक्षा करते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए नैतिक मानकों को रेखांकित करती है। आपूर्तिकर्ताओं को अनुरोध किए जाने पर आरईसी को प्रासंगिक ईएसजी डेटा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

हमारी वरिष्ठ प्रबंधन टीम इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमारी सतत खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी में सक्रिय रुचि लेती है। यह भागीदारी सुनिश्चित करती है कि स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल एक बयान नहीं है, बल्कि हमारी परिचालन प्रथाओं में एकीकृत एक सक्रिय दृष्टिकोण है।

यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Sustainable-Procurement-policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट सतत रीति में प्राप्त किए गए?

100% इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए जाते हैं। सभी संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ईएसजी अनिवार्य घोषणा ली जाती है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के संबंध में अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोगी काल के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

अपशिष्ट का प्रकार	तंत्र
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) ई – अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्ट अन्य अपशिष्ट	हमारे व्यवसाय और परिचालन प्रक्रियाओं की प्रकृति के कारण, हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा), या अन्य प्रकार का कचरा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करते हैं। हमारे संचालन खतरनाक कचरे के उत्पादन को न्यूनतम रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जहाँ ई-कचरा और प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, वहाँ उसका प्रबंधन ज़िम्मेदारी से और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया जाता है। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हम अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ साझेदारी करते हैं।

4. क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।

नहीं, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) आरईसी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कार्य करती है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने तक सीमित हैं और इसमें ईपीआर विनियमों के दायरे में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, संचालन या वितरण शामिल नहीं है। इसलिए, आरईसी के संचालन के लिए ईपीआर-संबंधी प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	अंशदत्त कुल टर्नओवर का %	वह सीमा जिसके लिए उपयोगी काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम, (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रस्तुत करें।
लागू नहीं। आरईसी अपने वित्तीय उत्पादों के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) उसी तरह नहीं करता है जैसे एक विनिर्माण कंपनी भौतिक उत्पादों के लिए करती है। हालांकि, आरईसी अपनी परियोजना मूल्यांकन और वित्तपोषण प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) पहलुओं को सक्रिय रूप से शामिल करता है। यह रणनीति एलसीए के समान ही उद्देश्य पूरा करती है, क्योंकि यह उन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और शमन करती है जिनका वित्तपोषण वे अपने पूरे जीवन चक्र में करते हैं।					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पाया गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें:

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम/सरोकार का विवरण	कृत कार्रवाई
आरईसी ऐसी क्षमता में कार्य करती है जो स्वाभाविक रूप से विनिर्माण या भौतिक उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय जोखिमों से बचती है। एक वित्तीय इकाई के रूप में, कंपनी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होती है जो सीधे तौर पर पारिस्थितिक क्षरण या सामाजिक क्षति में योगदान देती हों। फिर भी, आरईसी पर्यावरणीय अखंडता को प्राथमिकता देने वाली जिम्मेदार वित्तपोषण प्रथाओं को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपनी सम्पूर्ण परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, कंपनी उन विद्युत परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों का व्यवस्थित मूल्यांकन करती है जिन्हें वह वित्तपोषित करने के लिए चुनती है। इस मूल्यांकन में सावधानीपूर्वक उचित परिश्रम शामिल है, जिसमें सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय अनुपालन नियमों की व्यापक समीक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंज़ूरियाँ शामिल हैं कि परियोजनाएँ स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हों। इन प्रथाओं के अलावा, आरईसी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करती है। कंपनी ताप विद्युत संयंत्रों में उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ESP) जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तपोषण शामिल है। ये प्रौद्योगिकियाँ हानिकारक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे इन विद्युत संयंत्रों के आसपास के समुदायों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ वातावरण में योगदान मिलता है।		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लागू नहीं। चूंकि प्रचालन की प्रकृति ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, इसलिए कोई प्रमुख इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।		

4. उत्पादों और पैकेजिंग के उपयोगी-काल के अंत में पुनःप्राप्त, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	पुन: उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान	पुन: उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनःप्राप्त नहीं की जाती है।					
ई-अपशिष्ट						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनः प्राप्त नहीं है।	

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कार्मिकों सहित सभी कार्मिकों के कल्याण का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कार्मिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कार्मिकों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	490	490	100	490	100	लागू नहीं	लागू नहीं	490	100	490	100
महिला	83	83	100	83	100	83	100	लागू नहीं	लागू नहीं	83	100
कुल	573	573	100	573	100	83	100	490	100	573	100
स्थायी कार्मिकों को छोड़कर अन्य											
पुरुष	506	506	100	506	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0	0
महिला	74	74	100	74	100	74	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
कुल	580	580	100	580	100	74	100	0	0	0	0

ख. श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष						लागू नहीं					
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिको को छोड़कर अन्य											
पुरुष						लागू नहीं					
महिला											
कुल											

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कार्मिकों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय का ब्यौरा:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य संबंधी उपायों पर व्यय की गई लागत।	0.023	0.023

2. सेवानिवृत्ति हितलाभों का विवरण:

हितलाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल कार्मिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कार्मिकों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हा/नहीं/लागू नहीं)	कुल कार्मिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कार्मिकों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हा/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां
उपदान	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य-एनपीएस/ पीआरएमएस आदि	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े स्थायी कार्मिकों से संबंधित हैं।

3. कार्यस्थलों पर पहुंच:

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कार्मिकों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं:

आरईसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि उसके परिसर दिव्यांग कार्मिकों के लिए पूरी तरह से सुलभ हों। सुविधाओं में व्हीलचेयर के लिए डिज़ाइन किए गए विशाल लिफ्ट, साथ ही ग्रैब बार और पर्याप्त गतिशीलता स्थान जैसी सुविधाओं से सुसज्जित सुलभ शौचालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र नेविगेशन की सुविधा के लिए पूरे भवन में प्रमुख स्थानों पर ब्रेल साइनेज रणनीतिक रूप से लगाए गए हैं।

भौतिक पहुँच से परे, आरईसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्लू3सी) द्वारा स्थापित वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश (डब्लूसीएजी) 2.0, स्तर एए का पालन करके समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह समर्पण गारंटी देता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति विभिन्न सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट के साथ प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिनमें जेएडब्लूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे उन्नत स्क्रीन रीडर शामिल हैं। इस प्रकार के सॉफ़्टवेयर के साथ संगतता सुनिश्चित करके, आरईसी एक ऐसे डिजिटल वातावरण को प्रश्रय देता है जहाँ सभी उपयोगकर्ता आसानी और आत्मविश्वास के साथ अपने ऑनलाइन संसाधनों को नेविगेट करने में सक्षम होते हैं।

इसके बारे में अधिक जानकारी https://recindia.nic.in/screen-reader-access पर देखी जा सकती है।

4. क्या संस्था में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें:

हाँ, कंपनी की एक समान अवसर नीति है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/co-hr-equalopportunity-policy-dt230424.pdf पर उपलब्ध है।

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कार्मिकों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर:

	स्थायी कार्मिक		स्थायी श्रमिक	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	लागू नहीं*			
कुल	100%	100%		

**वित्तीय वर्ष 2024-25 में पितृत्व अवकाश लेने के बाद किसी भी महिला कार्मिक को काम पर लौटने की आवश्यकता नहीं है।*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिकों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें:

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों को छोड़कर अन्य	
स्थायी कार्मिक	हां, आरईसी में कार्मिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र है।
स्थायी कार्मिकों को छोड़कर अन्य	कार्मिक, रिपोर्टिंग मैनेजर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। रिपोर्टिंग मैनेजर 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। यदि कार्मिक निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह 15 दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। विभागाध्यक्ष 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि कार्मिक अभी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है या निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। समिति का निर्णय कार्मिक को 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। असाधारण मामलों में, व्यथित कार्मिक, जो समिति के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास शिकायत समिति से निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सीएमडी को अपील करने का विकल्प होगा। सीएमडी 30 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और उसे सूचित करेंगे। सभी प्राप्त शिकायतों पर नियमित अंतराल पर नज़र रखी जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए निर्णय संबंधी टिप्पणी भी बनाए जाते हैं।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कार्मिकों और श्रमिकों की सदस्यता:

हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कार्मिकों के एक संघ और अपने अधिकारियों के एक संघ को मान्यता दी है। सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	**वित्तीय वर्ष 2024-25**			**वित्तीय वर्ष 2023-24**		
	संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक / श्रमिक (क)	**संबंधित श्रेणी में कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)**	**% (ख/क)**	**संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक / श्रमिक (ग)**	**संबंधित श्रेणी में कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)**	**% (घ/ग)**
कुल स्थायी कार्मिक						
पुरुष	490	490	100	434	434	100
महिला	83	83	100	78	78	100
कुल	573	573*	100	512	512**	100

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक / श्रमिक (क)	संबंधित श्रेणी में कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक / श्रमिक (ग)	संबंधित श्रेणी में कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी श्रमिक						
पुरुष						
महिला			लागू नहीं			
कुल						

8. कार्मिकों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24*				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कार्मिक										
पुरुष	996	980	98	969	97	833	799	96	725	87
महिला	157	153	97	151	96	147	142	97	132	90
कुल	1,153	1,133	98	1,120	97	980	941	96	857	87
श्रमिक										
पुरुष										
महिला				लागू नहीं						
कुल										

9. कार्मिकों और श्रमिकों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कार्मिक						
पुरुष	490	490	100	434	434	100
महिला	83	83	100	78	78	100
कुल	573	573	100	512	512	100
श्रमिक						
पुरुष						
महिला			लागू नहीं			
कुल						

टिप्पणी: विवरण स्थायी कार्मिकों से संबंधित है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज:

आरईसी ने अपने कार्मिकों के लिए एक मज़बूत व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। हालाँकि एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में आरईसी के संचालन की प्रकृति आमतौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई बड़ा ख़तरा पैदा नहीं करती, फिर भी संगठन अपने कार्मिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी ने कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें व्यापक निरीक्षण और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों का सावधानीपूर्वक रखरखाव शामिल है। इसमें अग्निशामक यंत्रों की नियमित जाँच, यह सुनिश्चित करना कि अग्नि निकास मार्ग बिना किसी रुकावट के और सुलभ हों और यह सत्यापित करना शामिल है कि प्राथमिक चिकित्सा किट पूरी तरह से स्टॉक में हों और आसानी से उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, विद्युत और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन की पुष्टि के लिए कठोर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, और किसी भी चिन्हित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है ताकि जोखिमों को कम किया जा सके।

अपने कार्मिकों के बीच जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी समय-समय पर आंतरिक संचार आयोजित करता है जो सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ज़ोर देता है, साथ ही सूचनात्मक सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण सत्रों में अग्नि सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्मिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए, कंपनी संभावित आपातकालीन परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए मॉक निकासी अभ्यास भी आयोजित करती है।

कार्मिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए, आरईसी वार्षिक स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर आयोजित करता है, जिससे कार्मिकों को स्वास्थ्य मूल्यांकन और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों तक पहुँच के अवसर मिलते हैं। ये पहल संगठन के भीतर स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

इसके अलावा, आरईसी ने अपने कार्मिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए एक व्यापक चिकित्सा नीति बनाई है। यह नीति चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करती है और चिकित्सा अवकाश तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कंपनी की अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। कार्मिक इस नीति के बारे में विस्तृत जानकारी अपने संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध पा सकते हैं।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए यह प्रत्यक्षतः लागू नहीं होता है। हालाँकि, आरईसी कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण कराता है। इसके अलावा, आरईसी ने विद्युत और अग्नि संबंधी खतरों को दूर करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए नियमित परीक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। विद्युत और अग्नि संबंधी सुरक्षा मापदंडों का आकलन करने के लिए नियमित संपरीक्षा की जाती है, जिसमें आपातकालीन निकास और संबंधित उपकरणों की दैनिक जाँच शामिल है। हम तिमाही रूप से मॉक फायर ड्रिल और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

ग. क्या आपकी संस्था में श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर रखने की प्रक्रिया है। (हां/नहीं)

हां। आरईसी में कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया विद्यमान है।

घ. क्या संस्था के कार्मिकों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)।

हाँ, आरईसी कार्मिकों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ सत्र आयोजित करता है। कंपनी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और जीवनशैली से जुड़ी अन्य बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित विभिन्न जागरूकता पहल करती है। इसके अतिरिक्त, सभी कार्मिकों और उनके आश्रितों को एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और उनकी स्वास्थ्य सेवा संबंधी ज़रूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा संबंधी घटना/संख्या	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे पर नष्ट समय अभिघात आवर्ती दर (एलटीआईएफआर)	कार्मिक	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कार्मिक	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
मृतकों की संख्या	कार्मिक	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें:

आरईसी अपने सभी कार्मिकों और संविदाकारों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाए हैं कि समय-समय पर विद्युत और अग्नि सुरक्षा मापदंडों की जाँच की जाए और समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्मिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकों की अंशकालिक सेवाएँ ली जाती हैं। हम विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ सत्र आयोजित करते हैं और कार्मिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन शैली की सुविधा के लिए, परिसर में कार्मिकों के लिए एक व्यायामशाला (जिम) उपलब्ध है। कार्मिकों के लिए कंपनी द्वारा नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

13. कार्मिकों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति
काम करने की स्थिति	0	0	कोई शिकायत नहीं	0	0	कोई शिकायत नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	कोई शिकायत नहीं	0	0	कोई शिकायत नहीं

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके ऐसे संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ काम करने की स्थिति	आरईसी कार्यस्थल के परिवेश को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का प्रयास करता है, कार्मिकों की गरिमा को बनाए रखता है। सभी कार्यालयों की आंतरिक संपरीक्षा के माध्यम से समय-समय पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय के विभिन्न पहलुओं तथा संबंधित कार्य परिस्थितियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है।

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं। आरईसी अपने परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आंतरिक मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कार्मिकों (हां/नहीं); (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

(क) कार्मिक-हां, कंपनी कार्मिक और/या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में कार्मिक द्वारा घोषित पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है।

(ख) श्रमिक - लागू नहीं।

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है:

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, आरईसी अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण समझौतों में विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल करती है। ये नियम और शर्तें आवश्यक दायित्वों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं, जिनमें वैधानिक बकाया का समय पर भुगतान और आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं को लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अन्य समान दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। ऋण अवधि के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उधारकर्ताओं को अपने समझौते के विभिन्न चरणों में आरईसी को इन शर्तों के पालन का प्रमाण प्रदान करना होगा। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण न केवल उधारकर्ताओं की ज़िम्मेदारियों को पुष्ट करता है, बल्कि विनियामक मानकों और परिचालन अखंडता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है।

3. ऐसे कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कार्मिकों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वास प्रदान किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कार्मिक	0	0	0	0
श्रमिक	लागू नहीं			

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)

हाँ, आरईसी एक मज़बूत और बहुआयामी ढाँचा प्रदान करता है जो अपने कार्मिकों के करियर विकास और समग्र कल्याण को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान करता है, जब वे सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के चरण में भी। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, आरईसी डीपीई द्वारा निर्धारित रोजगार दिशानिर्देशों का, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति और रोजगार समाप्ति की प्रक्रियाओं के संबंध में, सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि आरईसी के पास सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से "संक्रमण सहायता कार्यक्रम" नामक कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, संगठन कार्मिक के पूरे करियर में निरंतर कौशल संवर्धन पर ज़ोर देता है। प्रत्येक वर्ष, कार्मिक आंतरिक संसाधनों और बाहरी संस्थानों, दोनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अवसरों में भाग लेते हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके कौशल वर्तमान और प्रासंगिक बने रहें। व्यावसायिक विकास के प्रति यह निरंतर प्रतिबद्धता न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि उनकी सक्रिय सेवा के वर्षों के दौरान अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ाती है।

करियर विकास के अलावा, आरईसी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों के कल्याण को भी बहुत महत्व देता है। कंपनी उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिज़ाइन किए गए कई महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ प्रदान करती है। इनमें व्यापक सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं, जो आरईसी के अपने कार्मिकों की सक्रिय रोजगार समाप्त होने के बाद भी उनकी देखभाल के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन के संबंध में विवरण:

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ काम करने की स्थिति	जनवरी 2025 से, आरईसी ने निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) आकलन को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। यह रणनीतिक कदम यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ताओं का आवश्यक ईएसजी मानदंडों के आधार पर कठोर मूल्यांकन किया जाए, जिससे आरईसी संभावित जोखिमों की प्रभावी पहचान कर सके और उनका समाधान कर सके, साथ ही इन आकलनों को अपने व्यापक स्थिरता उद्देश्यों के साथ संरेखित कर सके। उधारकर्ताओं के लिए इस महत्वपूर्ण विकास के अलावा, आरईसी ने अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए अपने ईएसजी मूल्यांकन के दायरे का भी विस्तार किया है। वर्तमान में, इसके लगभग 30% मूल्य श्रृंखला भागीदार इन महत्वपूर्ण आकलनों से गुजर रहे हैं, जो आरईसी की अपने संचालन और साझेदारियों में स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:

आरईसी ने अपने विभिन्न हितधारकों की पहचान, उनके साथ सहभागिता और प्रबंधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विस्तृत और सुव्यवस्थित हितधारक सहभागिता नीति विकसित की है। यह नीति कई प्रमुख घटकों पर आधारित है:

हितधारकों की परिभाषा: आरईसी के संदर्भ में, हितधारकों में विविध प्रकार के व्यक्ति और समूह शामिल हैं जो कंपनी के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें न केवल वे लोग शामिल हैं जिनकी आरईसी की गतिविधियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है, बल्कि वे भी शामिल हैं जिनका इसकी सफलता में निहित स्वार्थ है या इसके परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है।

प्रमुख हितधारक समूह: आरईसी अपने चल रहे व्यावसायिक प्रयासों के लिए हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को महत्वपूर्ण मानता है। इन समूहों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक हितधारक, जिनमें मुख्य रूप से वे कार्मिक शामिल हैं जो कंपनी की संस्कृति और उत्पादकता में योगदान करते हैं और बाहरी हितधारक, जिनमें विभिन्न व्यावसायिक सहयोगी शामिल हैं। बाहरी हितधारकों में आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, साझेदार और सेवा प्रदाता, साथ ही शेयरधारक और निवेशक, जिनमें बॉण्डधारक और लेनदार शामिल हैं, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं और बैंकिंग संस्थानों, नियामक निकायों और सरकारी एजेंसियों - जैसे राज्य सरकारें, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और स्टॉक एक्सचेंज (अर्थात एनएसई और बीएसई) को भी मान्यता दी गई है। ग्राहक और पड़ोसी समुदाय आरईसी के हितधारक नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि कंपनी की गतिविधियाँ सीधे उन पर प्रभाव डालती हैं।

सतत हितधारक पहचान: हितधारकों की पहचान एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है। आरईसी एक अनुकूली दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जो इसे अपने हितधारकों की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहने में सक्षम बनाता है। यह सक्रिय रवैया सुनिश्चित करता है कि कंपनी उन लोगों के हितों के अनुरूप बनी रहे जिनकी वह सेवा करती है और जिनके साथ बातचीत करती है।

जुड़ाव और संबंध निर्माण: खुले संचार के महत्व को पहचानते हुए, आरईसी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है ताकि उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं की गहरी समझ हासिल की जा सके। कंपनी इन मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता देती है, जिससे संभावित जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। अपने हितधारकों के साथ मज़बूत, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देकर, आरईसी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जो इसकी समग्र सफलता में योगदान दे। हितधारकों की विविध आवश्यकताओं की निरंतर निगरानी और उन पर प्रतिक्रिया देने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, आरईसी अपने व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने, जोखिमों को कम करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं स्थायी साझेदारियाँ स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल कंपनी की स्थिति को मज़बूत करता है, बल्कि उस व्यापक समुदाय और आर्थिक वातावरण का भी समर्थन करता है जिसमें यह संचालित होता है।

2. आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति:

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं अधिकारहीन समूह के रूप में अभिचिह्नित है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/दूरभाष/समाचार पत्र/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार	त्रैमासिक	आवश्यकतानुसार वित्तीय परिणामों का संप्रेषण, वित्तीय विवरणों का अंगीकरण और साधारण एवं विशेष व्यवसाय का संचालन। आवश्यकतानुसार शेयरधारकों के अनुरोधों और शिकायतों का समाधान करना।
बॉण्डधारकों	नहीं	ईमेल/वेबसाइट/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सूचना का प्रसार	त्रैमासिक	आवंटन, ब्याज सेवा, मोचन भुगतान, बॉण्ड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट। समय-समय पर बॉण्डधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समाधान करना।
कार्मिकों	नहीं	ईमेल/सूचना बोर्ड/वेबसाइट	आवश्यकता आधारित	संगठन के भीतर प्रमुख विकासों के बारे में बताएं, कंपनी की परिचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर प्रगति पर प्रकाश डालें। ईएसजी पहलुओं, एनजीआरबीसी सिद्धांतों, कार्मिक कल्याण और विकास, साथ ही मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा करें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं अधिकारहीन समूह के रूप में अभिचिह्नित है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
समुदाय	हां	सर्वेक्षण/प्रभाव आकलन/सीएसआर गतिविधियां/व्यक्तिगत संविदा/परियोजना आधारित चर्चाएं	आवश्यकता आधारित	सामुदायिक विकास और कल्याण, सीएसआर परियोजनाएं
विक्रेतागण	नहीं	ईमेल/एसएमएस/बैठकें/पत्र/दूरभाष	आवश्यकता आधारित	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद निविदा प्रक्रिया और जेम पोर्टल प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, साथ ही विक्रेताओं की शिकायतों का समाधान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/दूरभाष	दैनिक आधार पर (क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ कॉर्पोरेट कार्यालय)	ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

हालाँकि उल्लिखित अधिकांश हितधारक समूहों को आमतौर पर कमज़ोर या हाशिए पर रहने वाले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, फिर भी इन बड़े समूहों के भीतर कुछ विशिष्ट वर्ग हैं जो इन वर्गीकरणों में आते हैं। इनमें आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति, निम्न आय वर्ग के लोग, साथ ही महिलाएँ, बच्चे और विकलांग लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और अनुसूचित जाति (अ ज) और अनुसूचित जनजाति (अ ज जा) के सदस्यों के स्वामित्व वाले व्यवसाय, साथ ही महिला उद्यमी भी इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों में शामिल हैं। आरईसी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके और उनकी उन्नति के समान अवसरों को बढ़ावा देकर समाज के इन कमज़ोर वर्गों का समर्थन और उत्थान करने के लिए समर्पित है।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

   आरईसी अपने सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही अपने संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियामक ढाँचों का कड़ाई से पालन भी करता है। कंपनी अपने हितधारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले निर्णयों के बारे में समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर ज़ोर देती है। साथ ही, आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील व्यावसायिक रणनीतियों और स्वामित्व संबंधी जानकारी को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए गोपनीय रखा जाए।

   उत्तरदायी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, आरईसी ने कई बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ स्थापित की हैं जो इसके संचालन के आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को व्यापक रूप से संबोधित करती हैं। ये नीतियाँ प्रमुख हितधारकों के परामर्श से सावधानीपूर्वक तैयार की जाती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों और किसी भी चिंता का समाधान करें। इस प्रयास की आधारशिला व्यापक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति है, जिसे आरईसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह नीति कंपनी की ईएसजी-संबंधी पहलों का मार्गदर्शन करने वाले एक आधारभूत ढाँचे के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित हों।

   आरईसी में हितधारक जुड़ाव केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है और इसे एक सतत प्रयास के रूप में देखा जाता है। इन जुड़ावों का नेतृत्व मुख्य रूप से विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के पास होता है, हालाँकि वरिष्ठ प्रबंधन आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। इन जुड़ावों के परिणामों की व्यवस्थित रूप से निदेशक मंडल को रिपोर्ट की जाती है, जिससे सूचित निगरानी में सुविधा होती है और हितधारकों के हितों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से ध्यान में रखते हुए रणनीतिक दिशाएँ तैयार करने में सहायता मिलती है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

   पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते समय आरईसी कार्मिकों, उधारकर्ताओं, सरकारी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों सहित विविध हितधारकों के साथ व्यापक संवाद में सक्रिय रूप से शामिल होता है। संगठन का दृढ़ विश्वास है कि इन विविध दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से सुनकर, यह जनता की अपेक्षाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकता है और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।

   इन व्यावहारिक चर्चाओं के जवाब में, आरईसी ने एक जटिल पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति विकसित की है। यह नीति एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करती है, जिससे कंपनी पर्यावरणीय प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देने वाले सूचित निर्णय लेने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए, परियोजना समीक्षाओं के प्रारंभिक चरणों के दौरान, आरईसी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन इसकी परिचालन रणनीतियों, वित्तीय नियोजन और जोखिम प्रबंधन ढाँचों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिम्मेदार ऋण देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए, आरईसी अपने ऋण समझौतों में पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करता है। स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे से संबंधित परियोजनाओं में इस पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता है, जहाँ आरईसी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन करने के लिए अत्यधिक तत्परता बरतता है।

हितधारकों के साथ संवाद की खुली व्यवस्था बनाए रखने और उनकी प्रतिक्रिया पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने के द्वारा, आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य सार्थक, ज़िम्मेदार और समाज की उभरती ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करते रहें।

3. कमजोर/अधिकारहीन हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें।

आरईसी विचारशील नीतियों, ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सक्रिय आउटरीच प्रयासों के संयोजन के माध्यम से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के लिए एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को सशक्त बनाने पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे आपूर्तिकर्ताओं को पारदर्शिता, दक्षता और समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, आरईसी कई सरकारी प्लेटफार्मों पर पंजीकृत है, जिनमें जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) शामिल हैं। सभी आरईसी कार्यालय, अपनी क्षेत्रीय शाखाओं सहित, सभी विक्रेताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का लगातार उपयोग करते हैं।

अपनी खरीद प्रक्रिया में, आरईसी एमएसई को प्राथमिकता देता है, उन्हें विशेष वरीयता देता है और स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न लाभ प्रदान करता है। यह पहल छोटे उद्यमों के लिए एक अधिक न्यायसंगत खेल का मैदान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो अंततः अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण घटकों के लिए आर्थिक समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा देती है।

विक्रेता जुड़ाव के अलावा, आरईसी सक्रिय रूप से व्यक्तिगत निवेशकों, जिनमें इक्विटी शेयरधारक और बॉण्डधारक शामिल हैं, तक पहुँचता है, जो अघोषित किए गए लाभांश या मोचन राशियों से अनजान हो सकते हैं। कंपनी इन हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने की पहल करती है ताकि उन्हें उनके उचित बकाया राशि प्राप्त करने में सहायता मिल सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की कमी या आवश्यक जानकारी तक पहुँच के अभाव में अनदेखा न किया जाए।

इसके अलावा, आरईसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान पर केंद्रित हैं। ये पहल व्यापक हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, स्वच्छता और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता सहित प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। गरीब, वंचित और दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करके, आरईसी सक्रिय रूप से सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे जिन समुदायों की वह सेवा करता है, उनमें एक ठोस बदलाव आता है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कार्मिक और श्रमिक का विवरण, जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	कवर किए गए कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	कवर किए गए कार्मिकों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कार्मिक						
स्थायी	573*	565	98.60	512**	467	91.21
स्थायी को छोड़कर अन्य	580	550	94.83	468	414	88.46
कुल	1,153	1,115	96.70	980	881	89.90
श्रमिक						
स्थायी						
स्थायी को छोड़कर अन्य			लागू नहीं			
कुल						

2. कार्मिकों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)		संख्या (ङ)	% (ङ / घ)	संख्या (च)	% (च / घ)
कार्मिक										
स्थायी										
पुरुष	490	0	0	490	100	434	0	0	434	100
महिला	83	0	0	83	100	78	0	0	78	100
स्थायी को छोड़कर अन्य										
पुरुष	506	124	24.51	382	75.49	399	19	4.76	380	95.24
महिला	74	6	8.11	68	91.89	69	2	2.90	67	97.10

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)		संख्या (ङ)	% (ङ / घ)	संख्या (च)	% (च / घ)
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष										
महिला										
स्थायी को छोड़कर अन्य										
पुरुष										
महिला										

लागू नहीं

टिप्पणी: न्यूनतम वेतन स्तर पर कार्मिकों के प्रतिशत में वृद्धि कम कुशल कार्यों के लिए संविदा कार्मिकों को नियुक्त करने की हमारी परिचालन आवश्यकता से प्रेरित है, जिनका पारिश्रमिक वैधानिक न्यूनतम वेतन के अनुरूप है।

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. मध्य पारिश्रमिक/मजदूरी: **(राशि ₹ में)**

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2	1,02,07,673	1^	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	4	93,76,185	1	0
निदेशक मंडल और केएमपी को छोड़कर अन्य कार्मिक	488	25,67,256	83	28,16,037
श्रमिक	लागू नहीं			

** प्रस्तुत पारिश्रमिक विवरण में केवल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक शामिल है। चूँकि गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसे पारिश्रमिक नहीं माना जाता है।*

^ 31 मार्च, 2025 तक, महिला निदेशक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका अतिरिक्त प्रभार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिया गया है और उनके कार्यकाल के दौरान कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

ख. संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन	13.37	14.18

टिप्पणी: महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन के अनुपात में यह बदलाव महिला कार्यबल में अस्थायी कमी के कारण हुआ है, जिसका मुख्य कारण महिलाओं की अपेक्षा से अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति है। हमारी पारिश्रमिक प्रथाएँ पूरी तरह से लिंग-तटस्थ हैं, और समान अवसर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के पूर्ण अनुपालन में, भूमिका और अनुभव के आधार पर पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। हम लैंगिक विविधता को बहाल करने और बढ़ाने के लिए लक्षित भर्ती और प्रतिधारण रणनीतियों को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं, जो निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं और ईएसजी की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ हमारे समर्पण को रेखांकित करता है।

4. क्या आपकी संस्था में कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या इसमें हस्तक्षेप करने वाले मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है?

हाँ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

आरईसी अपने संचालन के सभी आयामों में मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एक व्यापक नीति स्थापित की है जो कंपनी से जुड़े प्रत्येक हितधारक पर लागू होती है। इसमें न केवल हमारे पूर्णकालिक और संविदा कार्मिक शामिल हैं, बल्कि बाहरी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, साझेदार और सलाहकार भी शामिल हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को आरईसी के साथ अपने संबंधों में मौलिक मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक न्यायसंगत और नैतिक वातावरण बनाए रखने के लिए, आरईसी अपने संचालन और अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम की किसी भी घटना पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा, हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने तक फैली हुई है कि सभी व्यक्तियों को समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन मिले, जिससे भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल का निर्माण हो। हम लिंग, आयु, धर्म, विकलांगता, यौन अभिविन्यास या कानूनी रूप से संरक्षित किसी भी अन्य विशेषता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का सक्रिय रूप से निषेध करते हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी आरोप या रिपोर्ट का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, आरईसी ने एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यह प्रणाली कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ होने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हितधारक अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें। यह शिकायतों की व्यवस्थित निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जिससे प्रभावित लोगों को प्रभावी समाधान प्रदान किया जा सकता है। किसी भी मानवाधिकार संबंधी मुद्दे की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति आरईसी की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आसानी से नामित शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

हमारी शिकायत निवारण प्रणाली आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों को अपनी शिकायतें, चिंताएँ और शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित और न्यायसंगत प्रक्रिया प्रदान करती है। हमारी नीति के प्रति जवाबदेही और अनुपालन बनाए रखने के लिए, आरईसी अपनी और अपने मूल्य शृंखला भागीदारों की प्रथाओं का नियमित रूप से लेखांकन और मूल्यांकन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष स्थापित मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बने रहें। इन उपायों के माध्यम से, आरईसी एक ऐसा कार्यस्थल और समुदाय बनाने का प्रयास करता है जो सभी के लिए सम्मान और गरिमा को प्राथमिकता देता हो।

6. कार्मिकों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
बाल श्रम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
वेतन	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	0	0
महिला कार्मिकों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच के संबंध में शिकायतें	0	0
पीओएसएच के संबंध में ऐसी शिकायतें, जिन्हें सही पाया गया	0	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र:

आरईसी एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जहाँ सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी भूमिका, पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो। कंपनी नैतिकता, मानवाधिकारों के सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करने पर ज़ोर देती है। आरईसी में करियर की उन्नति पूरी तरह से प्रतिभा, प्रदर्शन और योग्यता पर आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेदभाव या उत्पीड़न से संबंधित चिंताओं का उचित समाधान किया जाए, आरईसी ने शिकायत लेकर आने वाले लोगों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए स्पष्ट और सुरक्षित तंत्र स्थापित किए हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में, आरईसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करता है। ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ संभाला जाता है। शिकायतों की शीघ्र और निष्पक्ष जाँच के लिए समर्पित आंतरिक समितियाँ मौजूद हैं, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान और गरिमा की रक्षा की जाए।

इसके अलावा, कंपनी उन व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर सख्ती से रोक लगाती है जो सद्भावनापूर्वक भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य उल्लंघनों की रिपोर्ट करते हैं। इस सुरक्षा में कार्मिकों को धमकियों, बर्खास्तगी, पदावनति या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक नुकसान से बचाना शामिल है। इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, आरईसी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जो कार्मिकों और हितधारकों को गोपनीयता से और नकारात्मक परिणामों के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि शिकायतों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा समीक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, जहाँ आवश्यक हो, शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाते हैं। व्हिसल ब्लोअर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक करारों और संविदाओं में शामिल होती हैं? (हां/नहीं)

हाँ।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100
लैंगिक उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं, क्योंकि कोई समस्या चिन्हित नहीं हुई।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:

पूरे रिपोर्टिंग वर्ष में, हमें मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत या शिकायत नहीं मिली। हालाँकि, मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनका जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। हम अपने सभी कार्यों में मानवाधिकारों के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से निरंतर उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करके एक सक्रिय रुख अपनाते हैं। इसमें हमारी मानवाधिकार नीति को हमारी दैनिक व्यावसायिक प्रथाओं में सहजता से एकीकृत करना और हमारे हितधारकों के साथ मज़बूत संबंध विकसित करना शामिल है। ऐसा करके, हम संभावित जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं, इससे पहले कि वे गंभीर समस्याएँ बन जाएँ, जिससे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान और गरिमा का वातावरण बनता है।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण:

आरईसी अपने संचालन के सभी पहलुओं और हितधारकों के साथ अपने संबंधों में मानवाधिकारों को बनाए रखने पर ज़ोर देता है। हमने एक व्यापक मानवाधिकार नीति विकसित की है जो न केवल हमारी प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों और संगठनों पर भी लागू होती है जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जिनमें कार्मिक, ग्राहक, विक्रेता और सामुदायिक भागीदार शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मानकों का निरंतर पालन किया जाए, हम अपने विक्रेताओं से स्थापित मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली औपचारिक घोषणाएँ प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं। यह पहल एक नैतिक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने और ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 से, हमने उधारकर्ताओं और विक्रेताओं दोनों के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रियाओं में मानवाधिकार आकलन को शामिल करके अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया है। यह एकीकरण हमारे व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक मूल्यांकन का एक प्रमुख घटक है, जो सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निवेश और ऋण प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।

आंतरिक रूप से, हम अपने कॉर्पोरेट कार्यालयों में कड़े मानवाधिकार अनुपालन को बनाए रखने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे समर्पित ईएसजी प्रभाग द्वारा किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन और निरंतर निगरानी के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारे निगरानी प्रयास स्पष्ट रूप से परिभाषित आंतरिक तिमाही लक्ष्यों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो न केवल हमारी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने मानवाधिकार प्रथाओं में निरंतर सुधार करते रहें। इन लक्ष्यों को निर्धारित करके, हमारा उद्देश्य स्वयं को उत्तरदायी बनाना और अपने पूरे संगठन में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है।

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं?

कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है, जिसमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय और विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा संकेत हैं। इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। वेबसाइट पर दी गई जानकारी जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे विभिन्न स्क्रीन रीडर्स के साथ सुलभ है। इसके बारे में अधिक जानकारी https://recindia.nic.in/screen-reader-access पर देखी जा सकती है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
लैंगिक उत्पीड़न	आरईसी ने निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) आकलनों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। यह पहल सुनिश्चित करती है कि उधारकर्ताओं का मूल्यांकन आवश्यक ईएसजी मानदंडों के आधार पर किया जाए, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान हो और उनकी कार्यप्रणाली आरईसी के व्यापक स्थिरता सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए इन महत्वपूर्ण ईएसजी आकलनों के अनुप्रयोग का विस्तार किया है, और इसके लगभग 30% मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

सिद्धांत 6 व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल: जीजे) और ऊर्जा गहनता का विवरण:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क) (जीजे)	4,964	4,965
कुल ईंधन खपत (ख) (जीजे)	0	0
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (ग) (जीजे)	0	0
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) (जीजे)	4,964	4,965

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
गैर नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ) (जीजे)	9,292*	7,930
कुल ईंधन खपत (ङ) (जीजे)	3,146	2,119
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (च) (जीजे)	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (घ+ङ+च) (जीजे)	12,438	10,049
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)	17,402	15,014
प्रति करोड़ टर्नओवर पर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.31	0.32
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	6.38	6.45
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा गहनता	15.09	15.32
ऊर्जा गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

**स्वचालित प्रकाश व्यवस्था और नियमित एसी रखरखाव सहित निरंतर ऊर्जा दक्षता उपायों के बावजूद, आरईसी की बिजली खपत सालाना आधार पर बढ़ी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से हमारे स्थिरता-संचालित निर्णय के कारण है, जिसमें हमने तीसरे पक्ष के पारंपरिक वाहनों की जगह 48 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बेड़ा अपने यहाँ स्थापित किया है। इस बदलाव के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना आवश्यक था, जिसमें लगभग 400 मेगावाट घंटा (1440 गीगा जूल) बिजली की खपत हुई।*

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएँ हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की गई है:

लागू नहीं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) तृतीय पक्ष जल	27,565.48	38,121.17
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	27,565.48	38,121.17
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	20,176.48	31,771.17
प्रति करोड़ टर्नओवर पर जल गहनता (कुल जल खपत-किलोलीटर में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.36	0.80
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर जल गहनता (कुल जल खपत- किलोग्राम में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व- करोड़ में)	7.40	13.66
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल गहनता	17.50	32.42
जल गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 24 दिसंबर, 2009 की रिपोर्ट के आधार पर, यह माना जाता है कि निकाले गए कुल पानी का 80% क्षेत्रीय कार्यालयों में छोड़ा जाता है, शेष 20% को उपभोग किया गया पानी माना जाता है।*

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
(ii) भूजल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iii) समुद्री जल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(v) अन्य (सीवेज निस्सारण)*	7,389*	6,350*
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	7,389	6,350

आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए पानी का निकास बहुत कम है, हालाँकि आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को शून्य जल निकास के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वर्षा जल और तृतीय पक्ष (हुडा) से एकत्रित पानी का भवन में पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एसटीपी के माध्यम से अपशिष्ट जल (सीवेज जल) का पुनर्चक्रण और पुनः बागवानी और फ्लशिंग में उसका उपयोग शामिल है।

** क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए, यह माना जाता है कि 80% पानी शौचालय के सीवर के माध्यम से निकलता है।*

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निस्सरण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रस्तुत करें:

हाँ, आरईसी, एक एनबीएफसी होने के नाते, शून्य द्रव निर्वहन तंत्र लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, गुरुग्राम स्थित आरईसी का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, एक शून्य द्रव निर्वहन भवन है, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) से निकलने वाले अपशिष्ट जल और सौर ऊर्जा से सफाई, एचवीएसी/चिलर, शौचालय, फर्श धुलाई और जल निकायों के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्षा जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, भवन को बागवानी और फ्लशिंग के लिए एसटीपी द्वारा उपचारित जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
नाइट्रोजन ऑक्साइड	टन	0.006175	0.004833
सल्फर ऑक्साइड	टन	0.000794	0.000670
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	टन	0.001105	0.000856
कार्बन मोनोआक्साइड	टन	0.001547	0.000766

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24*	
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO2, मीथेन- CH4, नाइट्रस ऑक्साइड-N2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	306.46		555.37	
		tCO_2	209.74	tCO_2	140.03
		$CH_4 - tCO_2e$	0.74	$CH_4 - tCO_2e$	0.68
		$N_2O - tCO_2e$	0.38	$N_2O - tCO_2e$	0.46
		HFCs - tCO_2e	95.60	HFCs - tCO_2e	414.20
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO2, मीथेन- CH4, नाइट्रस ऑक्साइड-N2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	1876.53		1577.17	
		tCO_2	1876.53*	tCO_2	1577.17
		$CH_4 - tCO_2e$	0	$CH_4 - tCO_2e$	0
		$N_2O - tCO_2e$	0	$N_2O - tCO_2e$	0
		HFCs - tCO_2e	0	HFCs - tCO_2e	0
प्रति करोड़ टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन-मीट्रिक टन में/ प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन/ भारतीय रुपया	0.0387		0.045	

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24*
क्रय शक्ति समानता (पीपीपी)के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर उत्सर्जन गहनता कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व करोड़ में)	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन/ अमरीकी डॉलर	0.800	0.92
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन/एफटीई	1.893	2.175
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।			लागू नहीं

***ऊर्जा दक्षता पहलों जैसे स्वचालित प्रकाश व्यवस्था और नियमित एसी रखरखाव के बावजूद, स्कोप 2 उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है: (1) 48 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की आंतरिक लीजिंग, जिससे चार्जिंग के लिए लगभग 400 मेगावाट घंटा (1,440 गीगा जूल) बिजली की खपत बढ़ी; और (2) ग्रिड उत्सर्जन कारक में 0.716 से 0.726 की वृद्धि, जिससे परिकलित उत्सर्जन में वृद्धि हुई।*

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें:

हाँ, आरईसी अपने मुख्य व्यावसायिक संचालन और आंतरिक पहलों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है।

आरईसी का प्राथमिक योगदान भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन के एक प्रमुख वित्तपोषक के रूप में इसकी भूमिका से उपजा है। आरईसी सौर, पवन और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन स्रोतों सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। यह पारंपरिक, उत्सर्जन-गहन स्रोतों से उत्पन्न बिजली को सीधे विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आरईसी ने ₹1,05,259 करोड़ की प्रभावशाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा ऋण वितरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सालाना आधार पर 63% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

ग्रीन बॉण्ड जारी करना: हरित पहलों को और अधिक समर्थन देने के लिए, आरईसी नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बॉण्ड जारी करता है। इन बॉण्ड से जुटाई गई धनराशि विशेष रूप से "पात्र हरित परियोजनाओं" में लगाई जाती है जो कड़े पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करती हैं और सीधे तौर पर आरईसी ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देती हैं।

ऊर्जा दक्षता में वृद्धि: नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा, आरईसी पावर ग्रिड की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं का भी समर्थन करता है, जैसे स्मार्ट मीटरिंग और वितरण सुधार। हालाँकि ये प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस कटौती परियोजनाएँ नहीं हैं, लेकिन इन पहलों से ऊर्जा की हानि कम होती है और परिणामस्वरूप, बिजली क्षेत्र से उत्सर्जन कम होता है।

आरईसी अपने स्वयं के कार्बन पदचिह्न को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है: आरईसी अपने परिसर में रूफटॉप सौर संयंत्र संचालित करता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,379 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई, जिससे 1,002 टन CO_2 उत्सर्जन से बचा जा सका।

निवल शून्य संचालन: आरईसी अपने प्रत्यक्ष संचालन में निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के तहत, इसने अपने बिजली वितरण कंपनियों के साथ 100% हरित बिजली आपूर्ति के लिए सहमति व्यक्त की है, जिससे इसके आंतरिक उत्सर्जन में 85% की कमी आने का अनुमान है।

संक्षेप में, आरईसी हरित ऊर्जा परिवर्तन को वित्तपोषित करके पूरे भारत में बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने में सक्रिय रूप से सक्षम है, साथ ही अपने स्वयं के संचालन को कार्बन-मुक्त करने के लिए मजबूत उपायों को लागू कर रहा है।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0	0.55
ई-अपशिष्ट (ख)	1.50	0.53
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0	0
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0	0
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	0	0
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (छ)	0	0
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)	40.68	35.45
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**42.18**	**36.53**

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
प्रति करोड़ टर्नओवर पर अपशिष्ट गहनता	0.00075	0.00077
(कुल उत्पन्न अपशिष्ट मीट्रिक टन में / राजस्व से प्रचालन करोड़ में)		
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर अपशिष्ट गहनता	0.01544	0.0157
(कुल उत्पन्न अपशिष्ट-मीट्रिक टन में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)		
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट गहनता	0.036	0.037
अपशिष्ट गहनता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक माप-इकाई का चयन किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी: ई-अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	1.50	0.53
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	-	-
कुल	**1.50**	**0.53**
अपशिष्ट की श्रेणी - अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न		
(i) पुनर्चक्रित	19.80	16.20
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य – कम्पोस्टिंग	20.88	19.80
कुल	**42.18**	**36.53**

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	शून्य	शून्य
(ii) लैंडफिलिंग	हमने अपने सभी कार्यालय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एक सरकारी अधिकृत तृतीय-पक्ष अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता को नियुक्त किया है।	
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल		

टिप्पणी: एक एनबीएफसी होने के नाते, हमारे कार्यालय संचालन से उत्पन्न होने वाला कचरा मुख्य रूप से हमारे परिसर से उत्पन्न होता है, जिसमें सामान्य कार्यालय कचरा और बागवानी कचरा दोनों शामिल हैं। कचरे के उत्पादन में हालिया वृद्धि, कार्मिकों की बढ़ती उपस्थिति और बगीचे के कचरे में मौसमी वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। हमने एक पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता के साथ साझेदारी की है और लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें:

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, आरईसी के प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट कार्यालय और संभवतः छोटे क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। यह एक विनिर्माण उद्योग के रूप में ऐसे उत्पादों का निर्माण या ऐसी प्रक्रियाओं में संलग्न नहीं है जिनमें आमतौर पर खतरनाक और विषैले रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन या उपयोग शामिल हो।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणालियाँ ऐसे वातावरण में उत्पन्न अपशिष्ट को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो अपशिष्टों में कमी, पृथक्करण और ज़िम्मेदारी से निपटान पर केंद्रित हैं। हम अपनी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से "कागज़ रहित कार्यालय" को बढ़ावा देते हैं और हमने अपशिष्ट के ज़िम्मेदारी से निपटान के लिए एक अधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता के साथ साझेदारी की है। ई-कचरे के रूप में पहचाने गए पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरका और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोर्ड के तहत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/पुनःप्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से, आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।

हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रशासनिक कार्यों से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करता है।

11. यदि संस्था का प्रचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/इनके आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र.सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?
लागू नहीं। कोई भी प्रचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में/इनके आसपास नहीं है।			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, किंतु किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं की ओर से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। हाँ/नहीं। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना/अर्थदंड/कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
आरईसी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में सभी लागू पर्यावरण नियमों का अनुपालन करता है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की उचित जांच में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निस्सरण (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

(i) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं

(ii) प्रचालन की प्रकृति: अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य ऋण प्रदान करना

(iii) जल निकासी, खपत और निस्सरण: लागू नहीं

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य	लागू नहीं	
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया टर्नओवर में जल गहनता (जल खपत / टर्नओवर)		
जल गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।		
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई शोधन नहीं	लागू नहीं	
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, आरईसी ने बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन दिया है।

2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	संस्था	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24*
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO2, मीथेन-CH4, नाइट्रस ऑक्साइड-N2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य	10,752.00*	10,295.23
प्रति करोड़ टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य/भारतीय रुपया - करोड़ में	0.19	0.22
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	-	लागू नहीं	लागू नहीं

** इसमें श्रेणी 15 को छोड़कर, सभी लागू स्कोप 3 उत्सर्जन शामिल हैं।*

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण भी प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

4. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निस्सरण / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो सारांश सहित वेब-लिंक उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1	ऊर्जा कुशल अग्रभाग और विकिरण शीतलन स्लैब का उपयोग	गुरुग्राम स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए लगभग 30% एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है।	एचवीएसी लोड आवश्यकता में ~30% की कमी
2	सौर संयंत्र	आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में रूफटॉप सौर संयंत्र 979 किलोवाट पावर के हैं और आरईसीआईपीएमटी में 40 किलोवाट पावर के हैं, जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।	1000 टन CO2 उत्सर्जन से बचाव
3	कागज की खपत कम करना	कागज़ की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफ़िस' प्रणाली का उपयोग करता है। आरईसी ने अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी सिस्टम और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य पद्धतियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।	-
4	मौजूदा डीजल जनरेटर को द्वि-ईंधन जनरेटर में परिवर्तित करना	जीएचजी उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में मौजूदा 1010 केवीए डीजल जनरेटर सेट को द्वि-ईंधन (70% पीएनजी और 30% डीजल) जनरेटर में परिवर्तित किया गया।	वायु उत्सर्जन नगण्य होगा
5	स्वचालित प्रकाश व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली	आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में एक स्वचालित प्रकाश प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है	जिससे लगभग 10%-20% ऊर्जा की बचत होगी।
6	वाहनों का ईवी में परिवर्तन	आरईसी ने कार्यालयों के सम्पूर्ण पारंपरिक वाहनों को ईवी वाहनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 48 नए ईवी वाहन पेश किए जाएंगे, जो 76% रूपांतरण दर दर्शाता है।	-

5. क्या संस्था में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना विद्यमान है? 100 शब्दों में विवरण / वेब लिंक प्रस्तुत करें:

आरईसी ने अप्रत्याशित संकटों का सामना करने में संगठनात्मक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक व्यावसायिक निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। अपनी टीमों को प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए, हम कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों को कवर करते हैं।

इसके अलावा, हम नियमित रूप से आपदा अभ्यास आयोजित करते हैं जो वास्तविक दुनिया की आपात स्थितियों का अनुकरण करते हैं, जिससे हमें योजना में उल्लिखित हमारी स्थापित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इन अभ्यासों का सर्ट-इन द्वारा प्रमाणित बाहरी पेशेवरों द्वारा सावधानीपूर्वक लेखांकन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी प्रथाएँ उद्योग मानकों को पूरा करती हैं। इन लेखांकन से प्राप्त प्रतिक्रिया मूल्यवान है; यह निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है, जिससे हमें अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और अपनी प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, व्यावसायिक निरंतरता योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नवीनतम विकास के साथ अद्यतित रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रबंधन और बोर्ड दोनों को किसी भी बदलाव या प्रगति के बारे में सूचित रखा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारा दृष्टिकोण मजबूत और अनुकूलनीय बना रहे।

6. संस्था की मूल्य शृंखला से पर्यावरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

आरईसी सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों में उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों की स्थापना के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से संलग्न है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियों, चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) की तैनाती है। ये प्रणालियाँ विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले हानिकारक उत्सर्जन और कणिकीय पदार्थों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पूरे वित्तीय वर्ष में, आरईसी ने विशेष रूप से एफजीडी स्थापित करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को मंजूरी देकर इस पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल राशि ₹5,441 करोड़ है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार और कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अलावा, आरईसी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाओं को भी वित्तपोषित कर रहा है। ये परियोजनाएँ पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में अपनी बेहतर तापीय दक्षता के लिए विशिष्ट हैं, जो कम ईंधन खपत और कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, आरईसी ने कुल 5 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल राशि ₹11,755 करोड़ है। यह निवेश भारत में सतत ऊर्जा विकास के प्रति आरईसी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और समर्पण को दर्शाता है।

7. उन मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया:

आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए यह परियोजनाओं का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वन नहीं करती है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

आरईसी ने अपने इन-हाउस रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों से कुल 1,379 मेगावाट-घंटे (MWh) स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पन्न करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिनकी संयुक्त क्षमता 1,019 किलोवाट पीक (kWp) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त इस उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है, विशेष रूप से 1,002 टन CO2 की बचत हुई है। इस कमी को 1,002 कार्बन क्रेडिट के उत्पादन के रूप में मापा जा सकता है, जो आरईसी की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अपने पर्यावरणीय प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, आरईसी अपने सभी प्रत्यक्ष परिचालनों में निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 100% हरित ऊर्जा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) के साथ सहमति व्यक्त की है। इस रणनीतिक पहल से आरईसी के कुल उत्सर्जन में लगभग 85% की कमी आने की उम्मीद है, जिससे इसमें उल्लेखनीय कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने चालू वित्तीय वर्ष में एक स्वचालित प्रकाश व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली को चालू करके अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिभोग और प्राकृतिक प्रकाश के स्तर के अनुसार प्रकाश व्यवस्था को स्वचालित रूप से समायोजित करके ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करना है, जिससे संगठन के सतत विकास प्रयासों में और अधिक योगदान मिलेगा।

ख. शीर्ष दस द्वारा (क्रमशः खरीद, बिक्री और मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्य के संदर्भ में)

चूँकि आरईसी के संचालन की आधारशिला परियोजना वित्त में निहित है, इसलिए संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आरईसी द्वारा वित्तपोषित शीर्ष दस नवीकरणीय परियोजनाओं ने कुल 48,39,745 टन CO2 उत्सर्जन को सफलतापूर्वक रोका। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 48,39,745 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के बराबर है, जो इन परियोजनाओं द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में किए गए सकारात्मक योगदान को दर्शाता है।

आरईसी द्वारा वित्त पोषित सभी नवीकरणीय परियोजनाओं को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाने पर, संचयी परिहार्य उत्सर्जन लगभग 1,07,28,074 टन CO2 तक पहुँच जाता है, जो 0.1 बिलियन टन के बराबर है। अधिक सटीक निर्धारण के लिए पीसीएएफ (कार्बन लेखा वित्तीय साझेदारी) पद्धति का उपयोग करते हुए, इन परिहार्य उत्सर्जनों में आरईसी का प्रत्यक्ष योगदान 61,14,045 टन CO2 है। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में आरईसी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

सिद्धांत 7 - व्यवसायों को लोक और विनियामक नीति लागू करते समय उत्तरदायी और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या: 5 (पांच) संबद्धताएँ

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्रं.सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	विश्व आर्थिक मंच (डबल्यूईसी) अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
2	विश्व ऊर्जा परिषद (डबल्यूईसी), भारत	राष्ट्रीय
3	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
4	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
5	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
नियामक प्राधिकरणों की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित लोक नीति पदों का विवरण:

क्रं.सं.	लोक नीति का पक्षसमर्थन	इस तरह के पक्षसमर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

आरईसी लिमिटेड: सतत ऊर्जा और अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक नीति को उत्प्रेरित करना

आरईसी लिमिटेड, एक "महारत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक अग्रणी अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में कार्य करता है। यह देश की ऊर्जा और अवसंरचना नीतियों के विकास और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विद्युत मंत्रालय की एक रणनीतिक शाखा के रूप में, आरईसी देश भर में विद्युत अवसंरचना को बढ़ावा देने और विकसित करने वाली सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है। अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप, आरईसी नीतिगत वकालत और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसका ध्यान सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने, समान पहुँच सुनिश्चित करने और देश भर में अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

1. भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों में तेजी लाना

नीतिगत उद्देश्य: पेरिस समझौते के तहत भारत की पंचामृत जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी संवर्धन और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पक्षसमर्थन विधियाँ:

- ***रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से प्रदर्शन:***

आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 49% की वृद्धि हुई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के वित्तपोषण में कंपनी की भूमिका और मज़बूत हुई और क्षेत्रीय विकास के लिए मानक स्थापित हुए।

- ***विचार नेतृत्व और उद्योग जुड़ाव:***

आरईसी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेकर, स्थिति पत्र प्रकाशित करके और क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की सक्रिय रूप से वकालत करता है।

सार्वजनिक डोमेन: हाँ (रिपोर्ट आरईसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)

2. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना

नीतिगत उद्देश्य: आवासीय रूफटॉप सौर प्रणालियों को अपनाने में तेज़ी लाना, परिवारों के लिए ऊर्जा की पहुँच और सामर्थ्य में सुधार करना।

पक्षसमर्थन विधियाँ:

राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन भूमिका: आरईसी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (कुल परिव्यय: ₹75,021 करोड़) के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) है, जिसका उद्देश्य है:

- 1 करोड़ घरों को कवर करना
- प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना

कार्यान्वयन की उपलब्धि: वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, आरईसी ने 10 लाख से अधिक रूफटॉप सौर कनेक्शनों की सुविधा प्रदान की है, जिससे 3 गीगावाट वितरित नवीकरणीय क्षमता का योगदान हुआ है।

सार्वजनिक डोमेन: हाँ (आरईसी वेबसाइट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विज्ञप्तियों पर रिपोर्ट)।

3. सार्वभौमिक विद्युतीकरण और ग्रिड आधुनिकीकरण

नीतिगत उद्देश्य: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना और विश्वसनीयता, सामर्थ्य और स्थिरता के लिए बिजली वितरण प्रणालियों में परिवर्तन करना।

पक्षसमर्थन विधियाँ:

- ***नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन नेतृत्व:***

वर्तमान में, आरईसी को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए 19 राज्यों में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो ग्रिड उन्नयन, हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग में सहायता प्रदान करती है।

- ***जन जागरूकता और आउटरीच अभियान:***

आरईसी, आरडीएसएस के लिए जन संचार का नेतृत्व करता है, और विद्युत मंत्रालय की ओर से जनसंचार माध्यमों और जमीनी स्तर पर सक्रियता के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग जैसी पहलों को बढ़ावा देता है।

सार्वजनिक डोमेन: योजना दस्तावेज़, आरईसी वेबसाइट और विद्युत मंत्रालय के संचार

4. **विद्युत क्षेत्र के प्रशासन और उपभोक्ता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना**

नीतिगत उद्देश्य: विद्युत मूल्य श्रृंखला में प्रशासन को बढ़ावा देना, डिस्कॉम के प्रदर्शन में सुधार लाना और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना।

पक्षसमर्थन विधियाँ:

- *सार्वजनिक नीति की वकालत:* उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार, नियामक अनुपालन को बढ़ावा देना और डिस्कॉम के प्रदर्शन और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- *पक्षसमर्थन विधियाँ:* नीति परामर्श और अनुसंधान: आरईसी, विद्युत मंत्रालय को नीति निर्माण और नियामक अनुपालन पर सलाह देता है। इसमें शामिल हैं:
  - डिस्कॉम्स की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) रिपोर्ट प्रकाशित करना, जो 4 प्रमुख मापदंडों के 23 पूर्व-निर्धारित उप-मापदंडों पर आधारित है:

    - परिचालन विश्वसनीयता

    - कनेक्शन और अन्य सेवाएँ

    - मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण

    - दोष सुधार और शिकायत निवारण

  (उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024 में, 6 डिस्कॉम्स ए+ थे, 15 ए श्रेणी में) ताकि परिचालन विश्वसनीयता, कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण में सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके। (वेब लिंक: https://recindia.nic.in/consumer-service-rating-of-discoms)

  - पावरथॉन (चरण। फरवरी 2022 में लॉन्च) जैसे ढांचे विकसित करना, डिस्कॉम समस्या समाधान (उदाहरण के लिए, एटीएंडसी हानियाँ, लोड पूर्वानुमान) के लिए एआई/एमएल का लाभ उठाना। पिछले वर्ष विद्त मंत्रालय द्वारा पावरथॉन कार्यक्रम का चरण॥ लॉन्च किया गया था जिसमें आरडीएसएस के तहत सरकारी अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है।

  कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

  - पावरथॉन-2024 के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 40 प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) की योजना बनाई गई है।

  - प्रत्येक टीएसपी कार्यक्रम के तहत स्वीकृत अनुदान के लिए पात्र होगा।

  - क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) टीएसपी को अनुदान वितरण के साथ-साथ इनक्यूबेशन सहायता भी प्रदान करेंगे।

  - कार्यक्रम के तहत गठित एक विशेषज्ञ और तकनीकी समिति प्रगति की निगरानी करेगी और टीएसपी को अनुदान स्वीकृत करेगी।

  लक्षित प्रमुख समस्या क्षेत्र:

  - सटीक मांग/भार पूर्वानुमान/विद्युत क्रय लागत अनुकूलन

  - मांग पक्ष प्रबंधन- विद्युत गुणवत्ता में सुधार

  - वितरण प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण

  - ऊर्जा मीटर पुनर्चक्रण

  - डिजिटल ट्विन

  - स्मार्ट मीटरिंग

  - वितरण परिसंपत्ति प्रबंधन

  (वेब लिंक: https://recindia.nic.in/uploads/files/co-ursi-Powerthon-2024-dt-050225.pdf)

  - विद्युत मंत्रालय की ओर से पहली बार आरईसी द्वारा वितरण उपयोगिता रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें सीएसआरडी, पीएफसी द्वारा प्रकाशित एकीकृत रिपोर्ट और विद्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों से प्राप्त इनपुट शामिल हैं। रैंकिंग निम्नलिखित 6 मानकों के विशिष्ट भार पर आधारित है:

  - पीएफसी द्वारा जारी डिस्कॉम की वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग (35%)

  - डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (35%)

  - आरपीओ उपलब्धि (5%)

  - संचार प्रणाली मीटरिंग (5%)

- मांग पक्ष प्रतिक्रिया (5%)

- संसाधन पर्याप्तता (15%)

रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है (वेब लिंक: https://recindia.nic.in)

- *विद्युत उपयोगिताओं के प्रमुख नियामक मानकों" पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। (वेब लिंक: https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters)*
- *विद्युत मंत्रालय पहलों का कार्यान्वयन: ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा जैसी विद्युत मंत्रालय की अन्य पहलों को क्रियान्वित करना।*

सार्वजनिक डोमेन: हाँ (आरईसी वेबसाइट और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट)।

क्रॉस-कटिंग एंगेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म

विशिष्ट कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के अलावा, आरईसी का रणनीतिक नीतिगत प्रभाव निम्नलिखित माध्यमों से भी प्रसारित होता है:

- **विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) - भारत अध्याय:**

आरईसी की सदस्यता, विद्युत मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय संवादों में भागीदारी को सक्षम बनाती है, जिससे वैश्विक और राष्ट्रीय ऊर्जा विमर्श में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

- **नियामक परामर्श:**

आरईसी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों के कार्य समूहों में नियमित रूप से शामिल होते हैं और नियामक प्राधिकरणों को इनपुट प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नीति निर्माण के दौरान क्षेत्रीय चिंताओं का समाधान किया जाए।

- **आरईसी के वरिष्ठ अधिकारी चयनित वितरण कंपनियों के बोर्ड में बैठते हैं, जहाँ भारत सरकार की नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित की जाती है और राज्य नीतियाँ बनाई जाती हैं।**

- **आरईसीपीडीसीएल क्षेत्र-स्तरीय प्रतिक्रिया:**

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, निम्नलिखित जैसी जमीनी स्तर की परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है:

  - **स्मार्ट मीटरिंग परिनियोजन**
  - **11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना**
  - **लद्दाख ग्रिड अवसंरचना विकास**
  - **राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (आरडीएसएस के अंतर्गत)**

  ये पहल अनुभवजन्य साक्ष्य और परिचालन प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, जिससे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के आधार पर नीतिगत ढाँचों को परिष्कृत करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप पक्षसमर्थन

आरईसी का सार्वजनिक नीति सहभागिता मॉडल बहुआयामी है जो विचार नेतृत्व, डेटा पारदर्शिता, प्रत्यक्ष योजना निष्पादन और रणनीतिक वित्तपोषण पर आधारित है। यह एकीकृत दृष्टिकोण आरईसी को क्षेत्रीय सुधारों को गति देने, जलवायु और ऊर्जा पहुँच लक्ष्यों का समर्थन करने और एक लचीले, टिकाऊ बिजली क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करता है।

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर किया जा रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (₹ में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें:

शिकायत प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की सरकार की पहल के जवाब में, आरईसी ने अपने लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रबंधित यह व्यापक राष्ट्रीय मंच विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है।

सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज करने का अवसर मिलता है, जिनमें आरईसी

के संचालन और सेवाओं से सीधे संबंधित सेवाएँ भी शामिल हैं। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत सभी शिकायतों का स्थापित राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक समाधान किया जाए, जो समय पर और प्रभावी समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आरईसी का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्राप्त शिकायतों पर व्यवस्थित रूप से नज़र रखकर और उनका प्रबंधन करके इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण न केवल शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि जनता के लिए पहुँच को भी बढ़ाता है। नागरिक आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और अपनी चिंताओं के समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर समय पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह पहल जवाबदेही को बढ़ावा देने और आरईसी के साथ बातचीत करने वाले हितधारकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	44.83%	29.51%
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

टिप्पणी: संबंधित आंकड़ा पोर्टल पर उपलब्ध है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित अवस्थितियों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों या श्रमिकों सहित) को कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में संदत्त वेतन का प्रकटीकरण करें:

अवस्थिति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
ग्रामीण	0%	0%
अर्ध शहरी	0%	0%
शहरी	13.84 %	8.53%
महानगर	86.16 %	91.47%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में अभिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें (संदर्भ: आवश्यक संकेतकों का उपरोक्त प्रश्न 1):

अभिचिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

क्रं.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि ₹
1	महाराष्ट्र	वाशिम	15,76,574
2	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	1,85,95,800
3	आंध्र प्रदेश	कडपा	63,83,108
4	बिहार	मुजफ्फरपुर	73,91,368
5	बिहार	बांका	1,84,39,920
6	छत्तीसगढ	सुकमा	56,61,356

"आकांक्षी जिला" भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक नाम है जिसका उद्देश्य अपेक्षाकृत अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास) में सुधार करना है।

3. (क) क्या आपकी संस्था में कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप अधिकारहीन/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हां, आरईसी में एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने की नीति है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) आप कौन-से अधिकारहीन/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

आरईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) होने के नाते, भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 (लिंक: https://dcmsme.gov.in/pppm.htm.aspx) का पालन करने के लिए अधिकृत है। इस नीति में, जिसे समय के साथ संशोधित किया गया है और नीति में नवीनतम संशोधनों के अनुसार, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एमएसई से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्रतिवर्ष पूरा करना आवश्यक है:

1) वस्तुओं और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 25%।

2) अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए 25% के भीतर 4% का उप-लक्ष्य।

3) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए 25% के भीतर 3% का उप-लक्ष्य।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमने अपनी आंतरिक नीति को इस प्रकार से तैयार किया है कि ₹10 लाख तक मूल्य की सामान्य रूप से प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल एमएसई विक्रेताओं से ही की जाए। यह पहल हमारी आपूर्ति श्रृंखला में उनके विकास और भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करती है।

हमने एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं:

- मूल्य वरीयता: यदि कोई गैर- एमएसई विक्रेता सबसे कम बोली (एल1) प्रस्तुत करता है, तो भी एमएसई को एल1 मूल्य के बराबर बोली लगाकर अनुबंध प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते उनकी प्रारंभिक बोली एल1 मूल्य के 15% के भीतर हो। यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी ऑर्डर को कई विक्रेताओं के बीच विभाजित किया जा सकता है।
- वित्तीय बाधाओं में कमी: पंजीकृत एमएसई को निविदा दस्तावेज़ निःशुल्क प्राप्त होते हैं और उन्हें बयाना राशि जमा करने से छूट दी जाती है, जिससे उनके लिए हमारे अनुबंधों पर बोली लगाना आसान हो जाता है।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी): हम एमएसई को अपने खरीदारों से जोड़ने, उन्हें हमारी आवश्यकताओं को समझने में मदद करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता बनने के लिए तैयार करने हेतु वीडीपी का आयोजन करते हैं। इन सहायक उपायों को लागू करके, हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत खरीद वातावरण बना रहे हैं जो एमएसई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है

इन सहायक उपायों को लागू करके, हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत खरीद वातावरण बना रहे हैं जो एमएसई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमएसई से आरईसी की खरीद उल्लेखनीय रूप से 44.83% रही, जो अनिवार्य न्यूनतम से कहीं अधिक है। हालांकि, इसमें कंपनी की भूमिका सीमित है, क्योंकि आरईसी को सरकारी खरीद लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए विक्रेताओं द्वारा अपने स्वयं के विविधता दावों की रिपोर्ट करने पर निर्भर रहना पड़ता है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हां/ नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ / नहीं)	हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं।				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	सीखें और कमाएँ - आरईसी फाउंडेशन की एक पहल, जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में 300 युवाओं को परिधान निर्माण और उद्यमिता में स्नातक की उपाधियाँ प्रदान की जाएँगी।	300	100
2	बेंगलुरु में मनोरोग पुनर्वास सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।	170	100
3	7 सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और बुनियादी ढाँचे का नवीनीकरण करके विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना, 60 सरकारी स्कूलों में 60 कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं में परिवर्तित करना और सिकंदराबाद, हैदराबाद के 43 सरकारी स्कूलों में 50 एलपीएच रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार प्रणाली की स्थापना।	32,062	80
4	1,000 स्कूल बेंच, 1,250 बंक बेड और प्लास्टिक कचरे से बनी 5,000 आरपीईटी (पुनर्नवीनीकृत पॉलिएस्टर) टी-शर्ट उपलब्ध कराना।	7,500	80
5	ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1,650 सौर स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना।	17,57,611	100
6	पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान।	12,500	100
7	मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (उत्तर प्रदेश) की शहरी मलिन बस्तियों में लिंग-आधारित हिंसा की व्यापकता को कम करना।	11,028	100
8	हावेरी जिले के हंगल तालुका के मल्लिगर गाँव में राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र सीबीएसई स्कूल की स्थापना।	728	100
9	हीलिंग लिटिल हार्ट्स - एक आरईसी पहल जो पूरे भारत में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 1,000 बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करती है।	1,000	100
10	पूर्णिया क्लस्टर में बायोमासगैसिफायर आधारित विकेन्द्रीकृत विद्युत प्रणाली के माध्यम से नवोन्मेषी जूट प्रसंस्करण भागीदारी मॉडल की स्थापना।	3,500	80

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
11	कांगड़ा जिले में 15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी उच्च विद्यालय और 1 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अवसंरचना को उन्नत करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना। कक्षाओं की मरम्मत, नवीनीकरण, रसोईघर, चारदीवारी का पुनर्निर्माण, बिजली के तार/इंटरनेट की व्यवस्था, वाटर कूलर, अलमारी, कटलरी की खरीद, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करना, खेल के उपकरण, स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला उपलब्ध कराना।	1,041	100
12	बाड़मेर के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस, एयर कंडीशनर, आरओ वाटर प्लांट, जनरेटर सेट, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और कार्यालय कुर्सियाँ उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।	12,00,000	100
13	भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।	5,000+	80
14	भोजपुर के आरा (और जगदीशपुर), बरहरा और कोइलवर ब्लॉक के गाँवों में विकास कार्य।	5,000+	80
15	वाशिम के जिला महिला अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराना।	6,44,270 महिलाएं (अनुमानित)	100
16	स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ियों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी-झोपड़ी को गोद लेना - पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, सूचना एवं संचार तकनीक अभियान आदि।	500	100
17	आरईसी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आरईसी-इंटीग्रिटी क्लब।	98	100
18	बालासोर में एक महीने तक चलने वाले खेल प्रतिभा पहचान एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।	37,000	80
19	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी सड़क, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइटें, आरओ संयंत्र आदि की स्थापना।	10,000	100
20	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एसवीए के अंतर्गत द्वितीय किश्त में आरईसी द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित पाँच राज्यों में निर्मित 1,681 शौचालयों की मरम्मत/सुधार।	15,000	80
21	उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (स्मार्ट) के अंतर्गत स्नातकोत्तर छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाह्य प्रकाश व्यवस्था और पहुँच मार्ग सहित 80 स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए छात्रावास टावरों (जी+8) का निर्माण और ग्रिड से जुड़े 100 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पीवी पैनल की स्थापना।	72	60
22	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के 300 सरकारी स्कूलों में तीन चरणों में 300 जिज्ञासा (जॉयफुल लर्निंग रिसोर्स लैब के साथ सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट क्लासेस) की स्थापना, प्रत्येक चरण में 100 स्कूल होंगे, जिनका कार्यान्वयन यूएनआईएसईडी द्वारा किया जाएगा।	8,779	100
23	भारत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और श्रीमती सिरेकुंवरदेवी मोहता विद्यालय, हिंगणघाट, वर्धा, महाराष्ट्र में 13 नए कक्षाओं का निर्माण।	लागू नहीं	लागू नहीं
24	रसोई, भोजन कक्ष और स्टोर रूम का निर्माण और 12 स्कूलों में रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्र की स्थापना। आंध्र प्रदेश के कडपा में पुलिवेंदुला ग्रामीण, पुलिवेंदुला शहरी, लिंगाला और थौंडूर मंडल में सरकारी उच्च विद्यालय।	3,081	100
25	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक इनडोर बैडमिंटन कोर्ट (डबल) का निर्माण।	150 खिलाड़ी प्रत्येक वर्ष	80
26	जिला अस्पताल, दौसा में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	2,54,000	80
27	वांगोई, इंफाल पश्चिम, मणिपुर में 17 ओपन जिम का निर्माण।	इम्फाल के निवासी	80
28	हीलिंग लिटिल हार्ट्स 2.0 - जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु एक आरईसी पहल।	1,100	100
29	पूरे भारत में कृत्रिम अंग, कैलिपर और अन्य सहायक उपकरण प्रदान करके 8,000 विकलांग लोगों का पुनर्वास।	4,000	100
30	कश्मीर और लद्दाख में जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।	लागू नहीं	लागू नहीं
31	मणिपुर के सेनापति जिले के असुफी पुननामेई माओ में सामुदायिक भवन का निर्माण।	असुफिल पुनानामेई माओ में पूरा गांव	100
32	पंजाब के 5 जिलों में 18 ग्रामीण अकाल अकादमियों (कलगीधर ट्रस्ट द्वारा संचालित) में डिजिटल अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद।	12,500	100

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
33	राज्य विद्युत उपयोगिताओं/शहरी पार्कों, आस-पास के क्षेत्रों आदि में आरईसी सीओ/आरबकायाओ द्वारा 54 पौधों/वृक्षों के रोपण हेतु खरीद।	3,000+	100
34	पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान।	12,500	100
35	मणिपुर के उखरुल जिले में यिंगंगपोकपी से लाईकोइचिंग तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण।	10,000+	80
36	पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जिलों में बीएसएफ जवानों के कार्यस्थलों पर 500 शौचालयों का निर्माण।	34,000	80
37	भोपाल स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) परिसर में छात्रों के परिवहन के लिए चार ई-बसों और दो चार्जिंग स्टेशनों की खरीद।	6,000 छात्रों (अनुमानित)	100
38	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइटों की स्थापना।	लागू नहीं	लागू नहीं
39	भारत भर के विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 100 एमएमयू की खरीद, संचालन और रखरखाव, जिसका कार्यान्वयन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी/किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	98,496	100
40	पीएम केयर्स फंड में योगदान।	लागू नहीं	लागू नहीं
41	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	लागू नहीं	लागू नहीं
42	गुजरात उद्यमिता उत्कृष्टता फाउंडेशन के कोष में तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹20 करोड़ का योगदान, अर्थात प्रति वर्ष ₹6.66 करोड़	1,000+	100
43	बिहार के भोजपुर जिले के सभी 14 प्रखंडों में तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद, संचालन और रखरखाव।	61,211	60
44	अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 1,000 एलईडी सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और कमीशनिंग 12 महीनों की अवधि में की जाएगी।	3,25,000	100
45	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना, "लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 500 15-वाट एलईडी स्ट्रीट लाइटों की खरीद, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव" के लिए ₹1.74 करोड़ की सहायता।	1,00,000+	80
46	उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सेवार्थ संस्थान सेठ बिमल कुमार जैन ट्रॉमा एवं फिजियोथेरेपी धर्मार्थ समिति द्वारा स्थापित ट्रॉमा सेंटर में लीनियर एक्सेलरेटर मशीन की खरीद के लिए ₹14 करोड़ की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहायता प्रदान की गई है। इसका कार्यान्वयन एसएसबी, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।	4,00,000	80
47	आरईसी फाउंडेशन और सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल (एसएसपीएम) फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, चिखलदरा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से आईसीटी, स्मार्ट क्लास रूम और प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र, पुस्तकें, ई-पुस्तकें और ई-जर्नल (शिक्षण संसाधन पुस्तकालय) की खरीद और स्थापना का कार्य किया जाएगा।	8,000	80
48	50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण और खाद्यान्न भंडारण के लिए कंटेनर उपलब्ध कराना, एलपीजी गैस कनेक्शन और 1125 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रसवपूर्व देखभाल केंद्र स्थापित करना।	2,500	100
49	3 वर्षों में 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 250 स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप "आरईसी फाउंडेशन-रूपांतर रोल मॉडल स्कूल" बनाने के लिए सीएसआर सहायता।	45,000+	80
50	परियोजना के लिए ₹4.61 करोड़ की सहायता, "बांका के सदर अस्पताल में लेप्रोस्कोपी, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और नेत्र माइक्रोस्कोप मशीनों व अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ पूरी तरह से मॉड्यूलर नेत्र ओ.टी. की खरीद और स्थापना और बिहार के बांका जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया और बेलहर में एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ मॉड्यूलर सामान्य ओ.टी. की खरीद और स्थापना" को 12 महीनों में (जिला स्वास्थ्य समिति बांका (सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बांका (सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं
51	वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी की 25 ग्राम पंचायतों में 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण चार चरणों में किया जाएगा।	1,16,328	70
52	उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्मार्ट हिल टाउन के मास्टर प्लान के तहत, बद्रीनाथ शहर में अलकनंदा नदी पर पैदल पुल का निर्माण।	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
53	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 1,000 लोगों की क्षमता वाले सभागार का निर्माण, जिला नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व संघ द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं
54	नई दिल्ली स्थित एम्स - आरईसी आश्रय में आरईसी प्रतीक्षालय का निर्माण।	1,09,312	100
55	स्वच्छ भारत कोष में योगदान।	लागू नहीं	लागू नहीं
56	"सभी के लिए नेत्र देखभाल" परियोजना के लिए ₹6 करोड़ की सीएसआर सहायता - मोतियाबिंद सर्जरी के लिए 8,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की एक पहल, जिसका क्रियान्वयन शंकर नेत्र अस्पताल, पम्मल, चेन्नई द्वारा किया जाएगा।	8,000	100
57	देश के विभिन्न जिलों/राज्यों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण (25 शिविर)।	1,350+	100
58	श्री चैतन्य स्वास्थ्य एवं देखभाल ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना "भक्तिवेदांत अस्पताल, बरसाना, मथुरा में 5,000 फेको फेकोइमल्सीफिकेशन, सर्जरी" के लिए ₹4.15 करोड़ की सीएसआर सहायता।	1,250	100
59	सिक्किम के प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्वास, पुनर्वास आदि।	1,95,050	100
60	जगरमुंडा में हाई स्कूल भवन (जी+1) का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में 18 पावर इन्वर्टर उपलब्ध कराना, जिला अस्पताल में अभिकर्मक के साथ हीमेटोलॉजी एनालाइजर-सीबीएस उपलब्ध कराना और 5 की खरीद। सीएचसी और जिला अस्पताल में श्रेडर मशीन की स्थापना।	74,885	100
61	छत्तीसगढ़ में पोषण सुरक्षा और आजीविका सृजन हेतु बाजरा आधारित पाक परंपरा का पुनरुद्धार" नामक एक कार्यक्रम का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा।	13,400	100
62	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहायता।	लागू नहीं	लागू नहीं
आरईसीपीडीसीएल			
63	लेह के सरकारी एसएनएम अस्पताल में चिकित्सा उपकरण प्राप्त करके स्वास्थ्य	50,000	80
64	अवसंरचना में सुधार और नवीनीकरण कार्य हेतु चिकित्सा अधीक्षक को सीएसआर सहायता	75,000	70
65	श्रीनगर के स्वास्थ्य विभाग, श्रीनगर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार हेतु सीएसआर सहायता	30,000	60
66	बिल्हा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के एम.सी.एच. के लिए चिकित्सा उपकरण प्राप्त करके स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार हेतु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, बिल्हा, बिलासपुर को सीएसआर सहायता	360	70
67	बिस्सूली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोरा कॉलोनी में त्वरित निदान और अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से खोरा कॉलोनी की आबादी में एनीमिया उन्मूलन हेतु सीएसआर सहायता	30,000	100
68	चेतना हिमाचल प्रदेश को विशेष शिक्षा सुविधा के विकास/संवर्धन हेतु खुली छत पर छत का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास केंद्र का निर्माण	160	100

**यहां एन.ए. का अर्थ है – जिसका पता नहीं लगाया जा सकता।*

सिद्धांत 9 - व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें:

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता अपनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व्यवहार संहिता, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह ढाँचा व्यक्तियों को सेवाओं या प्रथाओं से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। निदेशक मंडल इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वे निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन का आकलन करने के लिए समय-समय पर गहन समीक्षा करते हैं। इस समीक्षा में इस संहिता के तहत दर्ज की गई शिकायतों का मूल्यांकन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह उल्लेखनीय है कि संगठन को निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो उच्च स्तर की

उपभोक्ता संतुष्टि और स्थापित प्रथाओं के पालन का संकेत देता है। निष्पक्ष व्यवहार संहिता में उल्लिखित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल की समीक्षा करने में रुचि रखने वाले लोग https://recindia.nic.in/uploads/files/co-hr-GROOrder-Fair-Practice-Code-30-05-2024.pdf पर जा सकते हैं।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	अभ्युक्ति
डाटा प्राइवेसी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	1	1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिरसा में शिकायत दर्ज की गई। आरईसी का उत्तर दाखिल कर दिया गया है।	1	1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर में शिकायत दर्ज की गई। आरईसी का उत्तर दाखिल कर दिया गया है।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिवार्य रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें:

हां, यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Data-Privacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी से संबंधित मुद्दों के संबंध में की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / अधिरोपित जुर्माना का विवरण प्रस्तुत करें:

शून्य। आईटी विभाग ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा सूचीबद्ध एक सुरक्षा एजेंसी को सक्रिय रूप से नियुक्त किया है। इस एजेंसी को आरईसी के आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) बुनियादी ढाँचे की व्यापक साइबर सुरक्षा लेखांकन की एक श्रृंखला आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। इन लेखांकन का उद्देश्य सुरक्षा स्थिति का आकलन करना, कमजोरियों की पहचान करना और संगठन के समग्र साइबर सुरक्षा ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है।

7. डाटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

क. डाटा उल्लंघन के मामलों की संख्या: शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डाटा उल्लंघनों का प्रतिशत: शून्य

ग. डाटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो: शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो, तो वेब लिंक प्रस्तुत करें):

आरईसी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध और व्यापक समूह प्रदान करता है, जो विशेष रूप से बिजली, बुनियादी ढाँचा और रसद क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह व्यापक पेशकश संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करती है और बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए आवश्यक प्रणालियों के विकास को बढ़ाती है। परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके, आरईसी इन उद्योगों में नवीन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आरईसी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय समाधान ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें न केवल राज्य विद्युत उपयोगिताएँ और राज्य सरकारें, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के डेवलपर भी शामिल हैं। ये वित्तीय उत्पाद बाजार के प्रत्येक खंड की विशिष्ट

आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा परिदृश्य के सभी हितधारक विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुँच सकें।

हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, जिसमें विशिष्ट ब्याज दरें और अन्य संबंधित वित्तीय जानकारी शामिल है, इच्छुक पक्षों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ वर्तमान और संभावित ग्राहकों के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। https://recindia.nic.in/financial-products. हमारी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल का विवरण https://recindia.nic.in/business-profile पर देखा जा सकता है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम:

आरईसी पूरे भारत में व्यापक उपस्थिति रखता है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय देश भर के विभिन्न राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण एक वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक या मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) द्वारा किया जाता है, जो संबंधित राज्य के उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला से संबंधित किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए यह पद महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष सहायता या जानकारी चाहने वालों के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित वरिष्ठ सीपीएम/सीपीएम की विस्तृत संपर्क जानकारी https://recindia.nic.in/contact पर देखी जा सकती है।

उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने और जनता को अपनी पेशकशों के बारे में शिक्षित करने के लिए, आरईसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई है। यह पहल पारदर्शिता और उपभोक्ता जुड़ाव के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

इन पहलों के अलावा, आरईसी के पास एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्थान भी है जिसे आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम प्रदर्शन में तकनीकी-व्यावसायिक सुधार और विद्युत उपयोगिताओं की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद तंत्र:

आरईसी, जो एक परियोजना वित्त एनबीएफसी है और प्रत्यक्ष उपयोगिता प्रदाता नहीं है, के लिए "उपभोक्ताओं" और "आवश्यक सेवाओं" की अवधारणा को बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि सीधे बिजली प्रदान करने के संदर्भ में। आवश्यक सेवा बिजली और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण है। "उपभोक्ता" बड़ी सरकारी और निजी बिजली उपयोगिताएँ हैं, न कि बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता।

इसलिए, अपनी आवश्यक सेवा (वित्तपोषण) में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में हितधारकों को सूचित करने के तंत्र मुख्य रूप से पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और अपने संस्थागत उधारकर्ताओं और वित्तीय बाजार के साथ सीधे संवाद पर केंद्रित हैं। प्रत्यक्ष तंत्रों में नियामक प्रकटीकरण, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, उधारकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और क्रेडिट रेटिंग शामिल हैं।

4. क्या संस्था उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं)। यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं) :

हाँ, संस्था कानूनी आवश्यकताओं से परे उत्पाद जानकारी प्रदान करती है।

एक थोक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, कंपनी मुख्य रूप से राज्य उपयोगिताओं को वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत ऋण नियम, शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट के अलावा, कंपनी निम्नलिखित माध्यमों से अपने उत्पादों का सक्रिय रूप से विज्ञापन करती है:

i. कार्यशालाएँ: उदाहरण के लिए, उधारकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ii. निवेशक और उधारकर्ता बैठकें: ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

iii. क्षेत्रीय कार्यालय: आरईसी के राज्य कार्यालय उधारकर्ताओं के छोटे समूहों को उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसी लगातार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ये सर्वेक्षण ऋण लेनदेन प्रक्रिया के दौरान कई टचपॉइंट्स पर रणनीतिक रूप से लागू किए जाते हैं, जिसमें आवेदन, अनुमोदन, संवितरण और समापन चरण शामिल हैं। हम अपने उधारकर्ताओं से सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, जो हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह प्रतिक्रिया सेवा वितरण में सुधार के हमारे निरंतर प्रयासों को सूचित करती है और हमें अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण और विकास पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिसका अंतिम लक्ष्य एक असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करना है।

एक एनबीएफसी के रूप में, हम भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व्यवहार संहिता का कड़ाई से पालन करते हैं। यह संहिता उधारकर्ताओं के साथ हमारी बातचीत में अपनाई जाने वाली नैतिक ऋण प्रथाओं को रेखांकित करती है, जिसमें ऋण जीवनचक्र के विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें आवेदन प्रक्रिया, ऋणों की स्वीकृति और मंजूरी, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और एक स्थापित शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। हमारी निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पूरा पाठ https://recindia.nic.in/uploads/files/co-hr-GRO-Order-FairPractice-Code-30-05-2024.pdf पर उपलब्ध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को उनके अधिकारों और हमारे द्वारा बनाए गए मानकों के बारे में अच्छी जानकारी हो।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 06817799

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

व्यवसाय उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1 **व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और अभिशासन करना चाहिए।**

आरईसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च महत्व देते हुए करता है। इस संबंध में तैयार की गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

नीति का नाम	वेब लिंक
कॉर्पोरेट अभिशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf
धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-fin-coord-rec-fraud-prevention-policy-dt011223.pdf
सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
व्यावसायिक आचार एवं नैतिकता संहिता	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf
निष्पक्ष व्यवहार संहिता	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-hr-GRO-Order-Fair-Practice-Code-30-05-2024.pdf
संबंधित पक्षकार लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf
नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt240725.pdf
निदेशकों के 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंड पर नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf
आरईसी ईएसजी नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य नीतियां और नियम भी हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और इंट्रानेट पर कंपनी के कार्मिकों के लिए सुलभ हैं।

पी2 **व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने पूरे उपयोगी-काल में सततता में योगदान दें।**

कंपनी एक एनबीएफसी है जो वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिसमें पर्यावरणीय स्थायित्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

आरईसी की एक सतत खरीद नीति भी है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के लिए ईएसजी दिशानिर्देश और मानवाधिकार आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Sustainable-Procurement-policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

पी3 **व्यवसायों को सभी कार्मिकों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए।**

कंपनी ने सामान्य कानूनों, विनियमों और सुदृढ़ नैतिक प्रथाओं के अनुरूप विभिन्न कार्मिक-उन्मुख नीतियों को अपनाया है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कंपनी के कार्मिकों के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

हमारी ईएसजी नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

पी4 **व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हैं।**

कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिनमें वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।

हमारी हितधारक सहभागिता नीति और हितधारक शिकायत निवारण नीति क्रमशः https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Stakeholder-engagement-policy-060624.pdf और

https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में कार्य करती है। सीएसआर नीति

https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

पी5 **व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।**

आरईसी हर संभव तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है। आरईसी की मानवाधिकार नीति

https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Human-Rights-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी में अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता विद्यमान है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखने और किसी भी आधार पर भेदभाव से बचने के लिए नैतिक अनिवार्यता अधिरोपित करती है। उक्त संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf पर उपलब्ध है।

पी6	**व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।**
	विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लगातार समर्थन दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंड https://recindia.nic.in/loan-policy-circular पर उपलब्ध हैं। हमारी ईएसजी नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf पर उपलब्ध है।
पी7	**जब व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीतियों को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा ज़िम्मेदारी से करना चाहिए।**
	आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और ज़िम्मेदार भूमिका निभाता है। इसके अलावा, आरईसी की आम जनता से बातचीत को इसके विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है। हमारी ज़िम्मेदार वकालत नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Responsible-Advocacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।
पी8	**व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**
	आरईसी में अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां मौजूद हैं, जिनमें एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf, अपने कार्मिकों के लिए समान अवसर नीति (आरईसी इंट्रानेट पर उपलब्ध), हरित-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक उधार दरें https://recindia.nic.in/loan-policy-circular और सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf शामिल हैं।
पी9	**व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।**
	आरईसी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'निष्पक्ष व्यवहार संहिता' विद्यमान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार का पालन करती है। यह संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/co-hr-GRO-Order-Fair-Practice-Code-30-05-2024.pdf पर उपलब्ध है। हमारी डाटा गोपनीयता नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-Data-Privacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

कारगिल, लद्दाख में डबल सर्किट टावर पर द्रास से पदुम तक 220 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का कार्यान्वयन आरईसीपीडीसीएल द्वारा किया जा रहा है